मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च 2015 की स्थिति में तुलनपत्र

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	टिप्पण क्रं.	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
I	**साम्या और दायित्व**			
1	**अंश धारको की निधियां**			
	अ) अंश पूंजी	2.1	1,945.38	1,825.96
	ब) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	(7,372.41)	(6,487.85)
2	आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन धन	2.3	120.00	119.42
3	**म.प्र.शासन से सतत ऋण**	2.4	7,329.02	5,345.89
4	**गैर चालू दायित्व**			
	अ) दीर्घकालिक ऋण	2.5	2,071.54	2,436.73
	ब) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	2.6	861.15	907.30
	स) दीर्घकालिक प्रावधान	2.7	1,057.84	939.26
5	चालू दायित्व			
	अ) अल्पकालिक ऋण	2.8	-	-
	ब) व्यापारिक देय	2.9	1,326.01	1,000.03
	स) अन्य चालू दायित्व	2.10	946.53	929.23
	योग		**8,285.06**	**7,015.97**
II	आस्तियां			
1	गैर चालू आस्तियां			
	अ) नियत आस्तियां			
	i)मूर्त आस्तियां	2.11	2,710.14	2,325.01
	ii)अमूर्त आस्तियां	2.11	15.52	0.43
	iii) पूंजीगत कार्य प्रगति में	2.12	1,500.47	1,311.94
	ब) गैर चालू निवेश	2.13	-	-
	स) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	2.14	239.26	317.25
2	चालू आस्तियां			
	अ) इन्वेन्ट्री	2.15	485.20	386.12
	ब) व्यापारिक प्राप्य	2.16	2,261.82	1,877.29
	स) नकद और नकद समतुल्य	2.17	699.77	501.89
	द) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	2.18	75.94	25.83
	ई) अन्य चालू आस्तियां	2.19	296.95	270.20
	योग		**8,285.06**	**7,015.97**

eXPert PDF Trial

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पण वित्तीय विवरणों पर
टिप्पण 1 से 3 इन वित्तीय विवरणों का अंगभूत भाग है।

हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार
खण्डेलवाल काकांनी एण्ड कंपनी के लिए
सनदि लेखाकार
एफआरएन:001311C

सीए. एन.सी. पुरंदरे
भागीदार
एमएन: 072684

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके वास्ते

(आकाश त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 19 नवम्बर 2015

(एम.के. झॅवर)
निदेशक (वाणिज्य)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एल.के. शर्मा)
कंपनी सचिव

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	टिप्पण क्रं.	वि.व. 2014–15 के लिए	वि.व. 2013–14 के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	2.20	8,268.45	6,956.62
II	अन्य आय	2.21	58.95	89.96
III	कुल राजस्व		**8,327.40**	**7,046.58**
IV	व्ययः			
	1) विद्युत क्रय एवं पारेषण प्रभार	2.22	8,093.24	7,555.77
	2) कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	2.23	753.26	720.58
	3) वित्त संबंधी लागत	2.24	201.88	276.02
	4) अवक्षयण और परिशोधन व्यय	2.25	176.83	148.72
	5) अन्य व्यय	2.26	317.97	371.27
	कुल व्यय		**9,543.18**	**9,072.36**
V	अपवादात्मक मदो एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) **(III-IV)**		**(1,215.78)**	**(2,025.78)**
VI	अपवादात्मक मदे (आय)/व्यय	2.27	**(154.93)**	**(214.82)**
VII	कर के पूर्व लाभ/(हानि) **(V-VI)**		**(1,060.85)**	**(1,810.95)**
VIII	कर संबंधी व्यय :			
	1) चालू कर		-	-
	2) आस्थगित कर		-	-
IX	**अवधि के लिए लाभ/(हानि)**		**(1,060.85)**	**(1,810.95)**
X	उपार्जन प्रति समता अंश			
	आधारिक		(55.60)	(100.89)
	तनुकृत		(53.76)	(96.50)

eXPert PDF Trial

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पण वित्तीय विवरणों पर

टिप्पण 1 से 3 इन वित्तीय विवरणों का अंगभूत भाग है।

हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार
खण्डेलवाल काकांनी एण्ड कंपनी के लिए
सनदि लेखाकार
एफआरएन:001311C

सीए. एन.सी. पुरंदरे
भागीदार
एमएन: 072684

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके वास्ते

(आकाश त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 19 नवम्बर 2015

(एम.के. झॅवर)
निदेशक (वाणिज्य)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एल.के. शर्मा)
कंपनी सचिव

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(अप्रत्यक्ष पद्धति)

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वि.व. 2014–15	वि.व. 2013–14
	कार्यकारी गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	कर,असाधारण मदो एवं पूर्व अवधि की मदो के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(1,054.06)	(1,792.37)
	समायोजन :		
1	- अवक्षयण	165.98	146.96
2	- ब्याज व्यय	127.27	149.96
3	- ब्याज आय	(30.45)	(22.54)
4	- आरक्षिति	-	-
5	- डूबत एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	0.70	(128.86)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व कार्यचालन लाभ	**(790.57)**	**(1,646.86)**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
1	इन्वेन्ट्री में (वृद्धि)/कमी	(99.08)	(115.63)
2	व्यपारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(385.22)	(35.62)
3	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(50.11)	573.69
4	अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(26.75)	(41.48)
5	अल्पकालिक ऋण में वृद्धि /(कमी)	-	-
6	व्यपारिक देय में वृद्धि /(कमी)	325.98	519.98
7	अन्य चालू दायित्वो में वृद्धि /(कमी)	17.30	(47.12)
8	अन्य दीर्घकालिक दायित्व एवं प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	72.43	175.23
	पूर्व अवधि मदों के पूर्व रोकड़ प्रवाह	**(936.02)**	**(617.81)**
1	पूर्व अवधि आय (शुद्ध)	6.79	18.58
अ	कार्यचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड	**(942.81)**	**(636.39)**
	निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
1	नियत आस्तियों का क्रय एव पूंजीगत कार्य प्रगति में वृद्धि	(754.72)	(876.42)
2	दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि	78.00	65.76
3	ब्याज आय	30.45	22.54
4	विनियोजन में (वृद्धि)/कमी	-	-
ब	निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़	**(646.28)**	**(788.12)**
	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
1	अंश पूंजी निर्गम से प्राप्ति	119.42	195.05
2	अंश आवेदन राशि में वृद्धि	0.58	(75.63)
3	म.प्र.शासन से सतत ऋण में वृद्धि/ (कमी)	1,983.13	600.67
4	दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि/ (कमी)	(365.19)	782.82
5	अनुदान/उपभोक्ता अभिदान में वृद्धि/ (कमी)	176.29	201.45
6	ब्याज व्यय	(127.27)	(149.96)
स	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**1,786.96**	**1,554.41**
द	रोकड़/रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि /(कमी) (अ+ब+स)	**197.88**	**129.90**
ई	वर्ष के आरंभ में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	**501.89**	**371.99**
एफ	वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (द+ई)	**699.77**	**501.89**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पण वित्तीय विवरणों पर

टिप्पण 1 से 3 इन वित्तीय विवरणों का अंगभूत भाग है।

हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार

खण्डेलवाल काकांनी एण्ड कंपनी के लिए
सनदि लेखाकार
एफआरएन:001311C
सीए. एन.सी. पुरंदरे
भागीदार
एमएन: 072684

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके वास्ते

(आकाश त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इन्दौर
दिनांक 19 नवम्बर 2015

(एम.के. झॅवर)
निदेशक (वाणिज्य)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एल.के. शर्मा)
कंपनी सचिव

eXPert PDF Trial

1:0: महत्वपूर्ण लेखा नीति

1:1: वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

कंपनी मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर एवं उज्जैन संभाग क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवसाय में संलग्न है, तथा यह विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों से शासित है। इस अधिनियम के प्रावधान सहपठित अधिनियमान्तर्गत निर्मित नियम, अंसंगतता की स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर अधिशासि होंगे। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा कथित न हो, एतिहासिक लागत अवधारणा के आधार पर सामान्यतः स्वीकृत लेखाकंन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) एवं क्रिया और कंपनीज (लेखामानक) नियम 2006 के द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किये जाते है।

तात्विकता एवं विवेक शीलता के सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुए

ए. उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा पर ब्याज उसी वर्ष लेखांबद्ध किया गया है जिस वर्ष में उपभोक्ताओं को यथार्थ विद्युत देयक जारी किये हो।

बी. तरलित हर्जाना एवं वारंटी दावों को उस वर्ष में लेखांबद्ध किया गया है जिस वर्ष में वास्तविक समायोजन किया गया है।

सी. कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट, शिक्षा व्यय, चिकित्सा पुनर्भुगतान एवं वार्षिक वृत्ति पेंशन को उनके वास्तविक पुनर्भुगतान के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

डी. उर्जा की चोरी के विरूद्ध जारी किये गये देयक, स्थाई विच्छेदित उपभोक्ताओं के अधिभार एवं अन्य बकाया, यात्रा व्यय के भुगतान, दुर्घटना क्षतिपूर्ति के भुगतान एवं स्थाई सम्पत्ति के लिये क्रय की गई सामग्री में मूल्यवृद्धि, भण्डार राजस्व तथा परियोजना का नकद आधार पर अभिलेखन किया गया है।

1:2: स्थाई आस्तियां

स्थाई आस्तियाँ ऐतिहासिक लागत से अवक्षयण घटाकर दिखाई गई है ऐतिहासिक लागत में क्रय मूल्य एवं कोई अन्य लागु लागतें सम्मिलित हैं जो कि आस्तियों को चाहे गये कार्य में प्रयुक्त करने हेतु कार्यशील बनाने में प्रयुक्त की गई है। इसमें स्थाई आस्तियों की संबंधित उधारी लागत एवं अन्य उपरिव्यय सम्मिलित है।

स्थापित स्थाई आस्तियों के प्रकरण में, निक्षेप कार्य या लागत अनुबंध जिनमें कि ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान किया जाना है, का पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया गया है जो कि अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन है। विकासाधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआयपी) का पूंजीकरण केवल संबंधित क्षैत्रीय अधिकारियों से प्राप्त परिशिष्ट जी/पीसीआर (तकनीकी प्रमाण पत्र) प्राप्त होने पर किया जा रहा है ।

पूंजीगत उपकरणों को पूंजीगत आस्ति माना गया है। आस्तियों की स्थापना के पूर्व खरीदे गये पूंजीगत उपकरणों का प्रमुख संपत्ति के साथ पूंजीकरण किया गया है।

आमूर्त आस्तियां जिसमें कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर सम्मिलित हैं को क्रय की लागत में से संचित परिशोधन व्यय को घटाकर दर्शाया गया है।
स्थाई आस्तियों के विक्रय पर होने वाले सभी लाभ अथवा हानियों को लाभ–हानि खाते में जमा या प्रभारित किया गया है।
कंपनी द्वारा विक्रय की गई आस्तियों जिनका अवक्षयित मूल्य जानकारी में नहीं है उन्हें बिना लाभ एवं हानि के विक्रय माना गया है तथा विक्रय राशि को अवक्षयित मूल्य को मानकर संपत्ति के सकल खण्ड से समायोजित किया गया है।

1:3: ऋणों की लागत

निर्माण के दौरान योग्य आस्तियों पर आवंटित उधारी लागत भारित औसत ब्याज दर के आधार पर पूंजीकृत की गई है।
अन्य उधारी लागतें चालू वर्ष के लिये व्यय के रूप में मान्य की गई हैं।

1:4: विकासाधीन पूंजीगत कार्य

आपूर्ति सह–स्थापना अनुबंधों के संबंध में स्थल पर प्राप्त एवं भुगतान योग्य मानी गई आपूर्ति के मूल्य को विकासाधीन पूंजीगत कार्य माना गया है

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

eXPert PDF Trial

निर्माण से पूर्व के सांयोगिक व्यय, चिन्हित प्रारंभिक परियोजना व्यय, सर्वे/परियोजना औचित्य अध्ययन आदि को सहवृद्धि के आधार पर विकासाधीन पूंजीगत कार्य में आवंटित किया गया है। यद्यपि परियोजना की निरस्ती की दशा में इन व्ययों को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

निक्षेप कार्य/लागत धन अनुबधों का संबंधित कार्यालयों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर लेखांकन किया गया है।

कार्पोरेट कार्यालय के व्यय एवं ऐसे संभागों/कार्यालयों के व्यय जो संचालन संधारण एवं पूंजीगत कार्य दोनों संपादित कर रहे है तथा भण्डारण व्ययों को यथासंभव चिन्हित के आधार पर पूंजीगत कार्यो में अभिलेखित किया गया है एवं शेष को संचालन संधारण व्ययों के अन्तर्गत अभिलेखित किया गया है।

निर्माण संभाग तथा निर्माण गतिविधियों में चिन्हित किये गये कार्यालयों के व्यय जिसमें कर्मचारी व्यय सम्मिलित हैं, को पूर्ण रूप में पूंजीकृत कर पूंजीगत संपत्ति की लागत रूप में अभिलेखित किया गया है।

निर्माण के दौरान योग्य आस्तियों पर आवंटित उधारी लागत भारित औसत ब्याज दर आधार पर पूंजीकृत की गई है।

अनुबंध में वृद्धि के रूप में मुल्य परिवर्तन के दावों को स्वीकार्यता के आधार पर उपार्जित किया है।

1:5: <u>अवक्षयण:</u>

कंपनी कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए) के सामान्य परिपत्र क्रं. 31/2011 दिनांक 31 मई 2011 के पालन में स्थायी आस्तियों पर अवक्षयण सरल रेखा पद्यति से विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरों पर दिनांक 01.04.2010 से प्रावधानित किया है।

संपत्तियों पर अवक्षयण की गणना उस वर्ष के पश्चात् समाप्त हो जायेगी जिसमें–

1:5:1: पूर्ववर्ती वर्षो में लगाया गया अवक्षयण एवं वर्ष का अवक्षयण दोनों मिलाकर संपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाता है अथवा संपत्ति स्थाई रूप से कंपनी द्वारा प्रयुक्त करना बंद कर दी जाती है, दोनों में जो भी पहले हो।

1:5:2: पट्टे में ली गई भूमि को पट्टा अवधि के समय में अभिलिखित किया गया है।

वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों में वृद्धि/निवृत्ति पर अवक्षयण का प्रावधान यथानुपात आधार पर किया गया है।

1:6: <u>विनियोजन</u>

दीर्घकालीन विनियोंगों को ऐसे विनियोगो के मूल्य में स्थायी कमी की दशा में लागत घटाया प्रावधान पर लिया गया है। चालू विनियोजनों को लागत एवं उचित मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर लिया गया है।

1:7: <u>इन्वेन्ट्री</u>

भण्डार, उपकरण एवं खुले उपकरणों के स्कंध को भारित औसत लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। लागत में सामग्री लागत, मजदूरी एवं निर्माण व्यय तथा अन्य लागतें सम्मिलित हैं जो कि इन्वेंट्री को वर्तमान दशा एवं स्थान पर लाने हेतु व्यय की गई हैं।

अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त उपकरण एवं खुले उपकरणों आदि को चिहिन्त कर तकनीकी निर्धारण की दरों के आधार पर व्यय अपलिखित किया गया है।

वर्ष के अन्त में हस्तस्थ इन्वेन्ट्री का संचा/संधा इन्वेन्ट्री एवं पूॅजीगत इन्वेन्ट्री में 70:30 के अनुपात में द्विभाजन किया गया है। सामग्री/कार्य पर प्रभारित भण्डार प्रासंगिक व्यय को लाभ एवं हानि खाते में समाकलित किया गया है।

1:8: <u>कर्मचारी लाभ</u>

समय समय पर संशोधित मध्य प्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण युक्ति नियम 2003 के अनुसार :–

1:8:1: मंडल से 31 मई 2005 को या इससे पूर्व सेवा से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मकारों को भुगतान किये जाने वाले सेवाअंत लाभ का दायित्व मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एम.पी. ट्रांसको) में विहित है।

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

eXPert PDF Trial

1:8:2: 31 मई 2005 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मकारों को सेवांत लाभ के भुगतान का दायित्व संबंधित हस्तांतरिती कंपनी में विहित है। यद्यपि म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.वि.मं में कर्मकारों द्वारा 31 मई 2005 तक पूर्व में दी गई सेवाओं के पेंशन एवं सेवांत लाभ दायित्व हेतु अभिदान एम.पी.ट्रांसको द्वारा किया जाएगा तथा हस्तांतरिती को दी गई सेवा के भाग हेतु अभिदान संबंधित हस्तांतरिती कंपनी द्वारा किया जाएगा।

1:8:3: उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 31 मई 2005 के पश्चात की अवधी हेतु छुटटी नकदीकरण, ग्रेच्यूटी एवं पेंशन के दायित्व को कंपनी द्वारा प्राप्त की गई एक्चूरीअल मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार उर्पाजन आधार पर लेखाकंन किया गया है।

1:8:4: एक्चूअरी द्वारा मूल्यांकन हेतु माने गये अनुमान एवं विधि निम्नानुसार हैः–

1:8:4:1: मूल्याकंन की तिथि 31 मार्च 2009

1:8:4:2: I,II,III श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ती आयु 58 वर्ष तथा IV श्रेणी कर्मचारियों की 60 वर्ष

1:8:4:3: अपघर्षण दर 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

1:8:4:4: भविष्य में वेंतन में वृद्धि 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

1:8:4:5: बट्टे की दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

1:8:4:6: एल.आई.सी (1994–96) अंतिम मृत्यु दर तालिका मानी गई

1:9: <u>राजस्व मान्यताः</u>

वित्तीय वर्ष के अन्त में उर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व जिनके बिल जारी नही किये गये है, के देयक समयान्तर चक्र की पूर्ति हेतु लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ताओं से विलम्ब से प्राप्त भुगतान पर अधिभार को विद्युत संयोजन के स्थाई रूप से विच्छेदित करने के समय तक उपार्जित आधार पर आय के रूप में मान्य किया गया है।

परामर्श /सेवा अनुबंध की प्रकृति के जमा कार्य, जहॉ ऐसे अनुबंध अन्यथा रूप से प्रावधान करते है, को छोडकर, से प्राप्त आय का लेखांकन यथाथ प्रगति/कार्य निष्पादन के तकनीकी निर्धारण के आधार पर किया है।

1:10: <u>व्ययों हेतु अभिलेखनः</u>

ऐसे व्यय जो आगामी काल से संबद्ध हैं एवं वर्तमान में व्यय किये गये हैं उन्हें पूर्व दत्त व्ययों के रूप में तात्विक आधार को ध्यान में रखते हुऐ अभिलेखित किया गया है। पूर्व काल से संबद्ध व्यय एवं असाधारण व्यवहारों का तात्विकता के आधार पर लेखांकन किया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति के दृष्टिगत 30 अप्रैल तक आगामी वर्ष के प्राप्त देयक/इनवॉइस के आधार पर व्यय हेतु प्रावधान किये गये है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त देयक/इनवॉइस का लेखाकंन अगले वर्ष के लेखों में किया जाना है।

त्रुटि या चूक एवं असाधारण व्यवहार के परिणामतः पूर्व अवधी के मदो को लेखा मानक 5 की आवश्यकतानुसार तात्विकता के आधार पर लाभ हानि खाते में पृथक से प्रकट किया है।

1:11: <u>सहायिकियां, अनुदान एवं उपभोक्ता अभिदान</u>

1:11:1: राजस्व सहायिकियां लाभ–हानि खाते में प्राप्त की गई है।

1:11:2: उपभोक्ताओं से पूंजीगत मदों हेतु प्राप्त उपभोक्ता अंशदानों को पूंजीगत प्राप्तियां व्यवहारित किया गया है जो पूंजी आरक्षिति शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

1:11:2:1: पूंजीगत आस्तियों के लिए अन्तिम प्रारंभिक शेष द्वारा प्राप्त उपभोक्ता अभिदान जो वर्ष के प्रारंभ में अदत्त थे, दस समान किश्तों में परिशोधित किये है।

1:11:2:2: वर्ष के दौरान प्राप्त उपभोक्ता अभिदान का आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल आधार पर लाभ– हानि लेखों में परिशोधन किया है।

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

eXPert PDF Trial

1:12: डूबत एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

डूबत एवं संदिग्ध ऋणों हेतु तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की नीति के अनुसार आवश्यक प्रावधान निम्नानुसार किये गये है:–

1:12:1: स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ता (पी.डी.सी.) निम्नदाब या उच्चदाब जैसा लेखा कोड 23.5 में दर्शाया गया है का लेखा पुस्तकों में पूर्ण प्रावधान किये गये है।

1:12:2: निम्नदाब उपभोक्ताओं (पी.डी.सी.श्रेणी के अलावा) के सम्बंध में वर्षान्त में राज्य शासन के देनदार तथा विद्युत विक्रय की एक माह की मांग को छोड़कर देनदारो पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

1:12:3: उच्चदाब उपभोक्ताओं (पी.डी.सी. श्रेणी के अलावा) के सम्बंध में तीन वर्षों से अधिक के देनदारों पर 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है। एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्षों से कम के देनदारों पर 25 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

1:13: आकस्मिक दायित्व एवं प्रावधान

1:13:1: जहॉ किसी घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान में दायित्व (आबलीगेशन) की स्थिति हो, जिसके कारण स्त्रोतो के बहिर्गमन की आवश्यकता संभाव्य हो और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो ऐसे दायित्वों का लेखों में प्रावधान किया गया है ।

1:13:2: जब कोई संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो जिससे स्त्रोतो के बहिर्गमन की संभावना न हो का तात्विकता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक दायित्व हेतु प्रकटन किया है।

1:13:3: रू 1.00 करोड़ से अधिक की प्रकृति के आकस्मिक दायित्व वित्तीय विवरणों के साथ प्रकट किये है।

1:14: आय पर कर

वर्ष के कर योग्य लाभ पर आय कर अधिनियम की प्रभावी दरों पर आय कर का प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर हेतु प्रावधान जो तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित हो, कर योग्य लाभ एवं पुस्तकीय लाभ के समयान्तर पर किया गया है ।

आस्थगित कर योग्य आस्तियां जो समयान्तर से उदित हुई है, को उस सीमा तक मान्य किया गया है जिसके बारे मे विश्वासोत्पादक प्रमाण से समर्थित व्यवहारिक निश्चितता है कि ये आस्तियां भविष्य के कर योग्य लाभ के विरूद्ध उगाही जा सकती है ।

1:15: आस्तियों की क्षीणता

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को आंकलन करती है कि ऐसा कोई संकेत तो नही है जिससे कंपनी की किसी आस्ति या आस्ति समूह को क्षति हो सकती हो।

यदि कोई ऐसा संकेत विद्यमान होता है तो आस्ति के वसूलनीय राशि से अधिक प्रभारित राशि की सीमा तक क्षति/हानि हेतु उपबंध किया जाता है। क्षति की हानि को उस वर्ष में जिसमें आस्ति की क्षतिग्रस्तता की पहचान कर लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है।

1:16: विदेशी मुद्रा व्यवहार:

विदेशी मुद्रा व्यवहारों से संबद्ध मौद्रिक संपत्तियों एवं दायित्वों जो कि वर्षान्त में निपटान नहीं किये जा सके हैं, को वर्षान्त की दरों (स्थाई आस्तियों के अलावा) पर परिवर्तित किया गया है एवं इस प्रकार परिवर्तन से उदित लाभ अथवा हानि को लाभ–हानि खातें में दर्शित किया गया है।

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

eXPert PDF Trial

विदेशी मुद्रा दायित्वों एवं विदेशी मुद्रा ऋणों जो कि स्थायी संपत्तियों हेतु लिये गये थे, के संबंध में विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों सें उत्पन्न दायित्व को वर्षान्त में स्थायी संपत्ति क्रय करने की लागत में समायोजित किया गया है।
विदेशी मुद्रा में वर्णित व्यवहारों को व्यवहार की दिनांक पर प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया गया है।

1:17: <u>प्रति अंश अर्जनः–</u>

मूल प्रति अंश अर्जन की गणना समता अंशधारियों को वर्ष के लिये शुद्व समेकित लाभ अथवा हानि को भारित औसत अद्त्त समता अंशों की संख्या से भाग देकर की गई है। तरलित प्रति अंश अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए समता अंशधारियों को वर्ष के लिये शुद्वसमेकित लाभ अथवा हानि को भारित अद्त्त औसत समता अंशों की संख्या सभी तरलित समता अशों के प्रभाव से समायोजित कर ली गई है।

1:18: <u>खण्ड प्रतिवेदन</u>

कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति इस प्रकार की है कि सभी गतिविधियों की जोखिम एवं प्रतिफल समान है अतः खंड प्रतिवेदन नही किया गया है।

1:19: <u>स्थगित राजस्व व्यय</u>

स्थगित राजस्व व्यय का परिशोधन आंकलित ऐसी समयावधि के दौरान किया गया है जिसमें उन व्ययों का लाभ कंपनी को उपार्जित हो।

eXPert PDF Trial

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:0: 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पण :

गत वर्ष के आंकड़े जहां कही भी आवश्यक थे चालू वर्ष के साथ पुष्टि करने हेतु पुनः समूहीकृत पुनर्वर्गीकरण किये गये है।

एवं अनुसूची III के आस्तियों एवं दायित्वों, लाभ हानि लेखा के शीर्षो की वर्गीकरण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भी पुनर्वर्गीकरण किये गये है।

2:1: <u>अंश पूंजी</u>

2:1:1: अधिकृत अंशो की संख्या एवं राशि अधोलिखित है :–

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	अधिकृत पूंजी 30,00,00,000 (पूर्व वर्ष 30,00,00,000) समता अंशो प्रत्येक रू 100 में विभक्त ।	3,000	3,000

2:1:2: निर्गमित, अभिदत एवं पूर्ण समादत अंशो की संख्या अधोलिखित है :

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	निर्गमित/अभिदत एवं पूर्ण समादत पूंजी 19,45,38,061 (पूर्व वर्ष 18,25,96,361) समता अंशो प्रत्येक रू.100.00 में विभक्त ।	1,945.38	1,825.96
	योग	1,945.38	1,825.96

2:1:3: कंपनी में मात्र एक वर्ग समता अंश है जिसका प्रत्येक का मूल्य रू 100.00 सम है।.

2:1:4: 31 मार्च 2015 एवं 31 मार्च 2014 को अंश पूंजी की राशि का अदत अंशो के साथ समाधान निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :–

क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2014-15		वित्त वर्ष 2013-14	
		अंशो की संख्या	राशि (करोड़ में)	अंशो की संख्या	राशि (करोड़ में)
1	प्रारंभ में अंशो की संख्या	18,25,96,361	1,825.96	16,30,91,361	1,630.91
2	जोड़े वर्ष के दौरान आवंटित अंश	1,19,41,700	119.42	1,95,05,000	195.05
3	वर्ष के अंत में अंशो की संख्या	19,45,38,061	1,945.38	18,25,96,361	1,825.96

2:1:5: प्रत्येक समता अंशधारी एक वोट प्रति अंश का पात्र है। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश न तो घोषित किया या न ही कंपनी ने भुगतान किया है।

2:1:6: शेयरो के विक्रय/विनिवेश के लिए विकल्पो और संविदाओ/प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गम के लिये कोई भी अंश आरक्षित नही है।

2:1:7: म.प्र.शासन के पत्र क्रं. 6071/13/12/02 दिनांक 20.03.2012 के निर्देशानुसार अंश जो म.प्र.शासन द्वारा धारित थे एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी को हस्तांतरित किये गये है। तदनुसार 01.04.2012 की प्रभावी तिथि से एम.पी.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड धारक कंपनी है। एम.पी.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी के संपूर्ण अंश म.प्र.शासन द्वारा धारित है।

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

eXPert PDF Trial

2:1:8: 31 मार्च 2015 एवं 31 मार्च 2014 को 5 प्रतिशत से अधिक अंशो को धारित करने वाले अंशधारियों का विवरण निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :-

क्र.	विवरण	तिथि को	अंशो की संख्या	प्रतिशत धारित
1	एम.पी.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी (धारक कंपनी)01/04/2012 की प्रभावी तिथि से	31 मार्च 15	19,45,38,051	100%
2	एम.पी.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी (धारक कंपनी)01/04/2012 की प्रभावी तिथि से	31 मार्च 14	18,25,96,351	100%

2:2 आरक्षितियां और अधिशेष

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
अ)	**पूंजी आरक्षितियां**		
1)	**उपभोक्ता अभिदान**		
I)	**सप्लाय अर्फोर्डिन्ग एवं अन्य प्रभार**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	-	-
	जोड़िये : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	29.52	32.79
	घटाईये : वर्ष के दौरान आस्थगित आय को अंतरण	29.52	32.79
	वर्ष के अंत में राशि	**-**	**-**
II)	**विद्युतिकरण प्रभार /उपभोक्ता अभिदान**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	9.46	11.55
	जोड़िये : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	12.98	3.75
	घटाईये : वर्ष के दौरान आस्थगित आय को अंतरण	9.98	5.83
	वर्ष के अंत में राशि	**12.46**	**9.46**
III)	**आर.जी.जी.व्ही.व्हाय. अंतर्गत विद्युतिकरण हेतु अनुदान**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	170.41	112.17
	जोड़िये : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	77.10	107.45
	घटाईये : वर्ष के दौरान आस्थगित आय को अंतरण	132.14	49.20
	वर्ष के अंत में राशि	**115.38**	**170.41**
IV)	**उपभोक्ता अभिदान एवं आस्थगित आय**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	513.52	465.20
	जोड़िये : वर्ष के दौरान प्राप्त/ समायोजित राशि	144.60	87.82
	घटाईये : वर्ष के दौरान परिशोधन राशि	45.48	39.50
	वर्ष के अंत में राशि	**612.64**	**513.52**

eXPert PDF Trial

निरंतर.....2

आरक्षितियां एवं अधिशेष पूर्व पृष्ठ से जारी..... **(रू करोड़ो में)**

क्र.	विवरण	वि.व. 31/मार्च/15 को	वि.व. 31/मार्च/14 को
2)	**सहायिकियां एवं अनुदान**		
I)	**पूंजीगत आस्तियों की लागत हेतु सहायिकियां एवं अनुदान**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	473.09	376.12
	जोड़िये : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	129.21	96.97
	वर्ष के अंत में राशि	**602.30**	**473.09**
ब)	**सामान्य आरक्षितियां**		
1)	**अन्य आरक्षितियां (बीमा)**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	79.22	79.22
	जोड़िये : वर्ष के दौरान अंतरण राशि	-	-
	वर्ष के अंत में राशि	**79.22**	**79.22**
स)	**आधिक्य**		
1)	**लाभ एवं हानि खाते का नामे शेष**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	(7,733.55)	(5,922.60)
	जोड़िये : वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	(1,060.85)	(1,810.95)
	घटाईये : वर्ष के दौरान अंतरण राशि	-	-
	वर्ष के अंत में राशि	**(8,794.40)**	**(7,733.55)**
	महा–योग (अ+ब+स)	**(7,372.41)**	**(6,487.85)**

eXPert PDF Trial

2:3 आवंटन लंबित अंश आवेदन राशि

चालू वर्ष 2014–15 के दौरान म.प्र.शासन से अंश आवेदन हेतु प्राप्त हुई राशि रू.120.00 करोड़ (पूर्व वर्ष रू. 119.40 करोड़) तुलन पत्र की दिनांक को आवंटन हेतु लंबित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। **(रू करोड़ो में)**

क्रं.	विवरण	31/मार्च/2015 को	31/मार्च/2014 को
1	आवंटन के लिये लंबित अंश आवेदन राशि	120.00	119.42
	योग	**120.00**	**119.42**

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:4: म.प्र.शासन से सतत् ऋण

(रू करोड़ो में)

क्रं.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	**म.प्र.शासन से सतत् ऋण**		
	वर्ष के प्रारंभ में राशि	5,345.89	4,745.22
	जोड़िये : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,983.13	600.67
	घटाईये : देय राशि /वर्ष के दौरान भुगतान	-	-
	वर्ष के अंत में राशि	**7,329.02**	**5,345.89**

(जैसा कि यह ऋण शाश्वत प्रकृति का है तथा कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व नही है, अतः यह दीर्घकालीन दायित्व व्यवहारित नही किया है एवं तुलन पत्र में पृथक से प्रकट किया है।)

2:4:1 वर्ष के दौरान प्राप्त सतत ऋणों का विवरण

चालू वर्ष 2014–15 के दौरान म.प्र.शासन द्वारा कई आदेशों द्वारा उनको देय निश्चित शेषों को सतत् ऋण के रूप में परिवर्तीत किया है। ये ऋण बिना परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान के सतत् प्रकृति के है। उपरोक्त सतत् ऋण पर ब्याज की दर एस.बी.आई की आधार दर के समान है जो शोध विलम्ब काल 3 वर्ष के पश्चात् (01.04.2014 से 31.03.2017) वित्तीय वर्ष 2017–18 से देय है। उपरोक्त सतत् ऋण के अन्य विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	म.प्र.शासन आदेश क्रं.	आदेश दिनांक	विवरण	राशि (रू करोड़ो में)
1	एफ -5-6-/2012/13	09-07-2014	विद्युत शुल्क/सेस परिवर्तन	5.50
2	एफ -5-4-/2015/13	31-03-2015	सरदार सरोवर दायित्व	146.20
3	एफ -5-5-/2015/13	31-03-2015	ऋण एवं ब्याज परिवर्तन	1379.23
4	एफ -5-6-/2015/13	31-03-2015	विद्युत शुल्क/सेस परिवर्तन	452.21
	योग			**1983.13**

eXPert PDF Trial

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2.5 दीर्घकालिक उधार

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	गैर चालू भाग		चालू परिपक्वता	
		31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
अ)	**बॉन्डस**				
1	एस.एल.आर बॉन्डस (सुरक्षित)	-	-	-	-
	एस.एल.आर बॉन्डस (असुरक्षित)	-	-	-	-
	(संख्या 60, 8.75% से 12% रू. 1 लाख से 1 करोड़ प्रत्येक)				
ब)	**ऋणपत्र**				
2	पी.पी. ऋणपत्र(सुरक्षित)	-	-	-	-
	पी.पी. ऋणपत्र(असुरक्षित)	-	-	-	-
	(संख्या 512, 13.75% से 15% रू. 1 लाख प्रत्येक)				
स)	**दीर्घकालिक ऋण**				
	संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण				
3	पी.एफ.सी. से ऋण				
	सुरक्षित	164.42	171.24	11.73	7.49
	असुरक्षित	3.45	7.03	3.59	7.47
4	आर.ई.सी से ऋण				
	सुरक्षित	473.45	445.00	56.77	30.64
	असुरक्षित	359.29	66.74	57.44	13.13
	अन्य से दीर्घकालिक ऋण				
5	म.प्र.शासन से ऋण				
अ)	दीर्घकालिक				
	सुरक्षित	-	-	-	-
	असुरक्षित	1,070.92	972.06	66.27	73.12
ब)	कार्यशील पूंजी ऋण (असुरक्षित)	-	774.66	0.00	13.05
	योग (अ+ब–स)	**2,071.54**	**2,436.73**	**195.80**	**144.90**
	उपरोक्त राशि में शामिल है				
	सुरक्षित उधार	*637.87*	*616.24*	*68.50*	*38.13*
	असुरक्षित उधार	*1,433.67*	*1,820.49*	*127.30*	*106.77*
	"अन्य चालू दायित्व" के शीर्ष के अंतर्गत दर्शित राशि (टिप्पण क्रं. 2.10)	-	-	*(195.80)*	*(144.90)*
	योग राशि	**2,071.54**	**2,436.73**	**-**	**-**

टिप्पण :–

1) ऋणों के पुनर्भुगतान में जारी चूक 31.03.2015 को राशि रू. 75.62 करोड़ है।
2) सुरक्षितएवं असुरक्षित ऋणों का वर्गीकरण कंपनी द्वारा संधार्य चार्ज रजिस्टर के आधार पर है।

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2::5:1: दीर्घकालिक उधारियों केनियम एवं शर्ते

ऋणदात्री अभिकरण	ऋण/स्कीम नाम	ऋण राशि (रू. करोड़ में)	31/03/15 को शेष	31/03/14 को शेष	ब्याज दर	पुनर्भुगतान केनियम एवं शर्ते			प्रतिभूति का विवरण	शासन की गारंटी
			मूलधन	मूलधन		विलम्ब काल अवधि	मूलधन पुनर्भुगतान अवधि	ब्याज पुनर्भुगतान		
सुरक्षित ऋण										
पीएफसी	ए.डी.बी कांउटर पार्ट फनडिंग20806002	117.82	44.47	45.22	11.75% से 12.75%	31/12/2014 तक	प्रत्येक वर्ष की तिमाही 15 अप्रैल,15 जुलाई, 15 अक्टूम्बर, 15 जनवरी	मूलधन अनुसार	रू.117.82करोड़ की सीमा तक भविष्य की चल आस्तियों का हायपोथिकेशन	-
	ए.डी.बी IIIकांउटर पार्ट20806003	74.13	-	-	वितरण दिनांक को प्रचलित 12.50%	15 अक्टू 2016 तक	प्रत्येक वर्ष की तिमाही 15 अप्रैल,15 जुलाई, 15 अक्टूम्बर, 15 जनवरी	मूलधन अनुसार	रू. 74.13 करोड़ की सीमा तक भविष्य की चल आस्तियों का हायपोथिकेशन	
	केपेसिटर बैंक योजना 20806001	24.49	12.08	14.95	12.75%	15/07/2009 तक	प्रत्येक वर्ष की तिमाही 15 अप्रैल,15 जुलाई, 15 अक्टूम्बर, 15 जनवरी	मूलधन अनुसार	रू. 24.49करोड़ की सीमा तक की चल आस्तियों का हायपोथिकेशन	-
	आर.ए.पी.डी.आर.पीपार्ट–एस्काडा पार्ट –ए सहित	86.16	37.97	37.73	वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार (वर्तमान में 9%)	31/03/2015 तकपुनः आर.ए.पी.डी.आर.पी. की स्टीरिंग कमेटी के निर्णय पर निर्भर.	वार्षिक किश्त 10 माह की किश्तों में (अप्रैल एवं मई माह छोड़कर) भुगतान की जाएगी प्रत्येक वर्ष 15 जुन से प्रांरभ ।	उर्जा मंत्रालय से पी.एफ.सी को विमोचन की दिनांक से ब्याज उपार्जित होगा। यद्यपि भुगतान मूलधनकिश्त के साथ देय होगा।	रू.86.16 करोड़ की सीमा तक भविष्य की आस्तियों का हायपोथिकेशन सृजित किया जाएगा।	-
	आर.ए.पी.डी.आर. पीपार्ट–बीस्काडा पार्ट –बी सहित	135.17	80.83	80.83	वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार (वर्तमान में 9%)	15/05/15 तक (जैसा कि स्वीकृति की दिनांक 19/03/10एवं 06/07/10 से पांच वर्ष). पुनः आर.ए.पी.डी.आर.पी. की स्टीरिंग कमेटी के निर्णय पर निर्भर	स्थगन अवधि सहित 20 वर्ष, वार्षिक किश्त 10 मासिक किश्तों में प्रत्येक वर्ष 15 जून से प्रांरभ होकर 15 मार्च तक भुगतान की जाएगी।	उर्जा मंत्रालय से पी.एफ.सी को विमोचन की दिनांक से ब्याज उपार्जित होगा। यद्यपि भुगतान मूलधनकिश्त के साथ देय होगा।	रू.135.17 करोड़ की सीमा तक भविष्यकी आस्तियों का हायपोथिकेशन सृजित किया जाएगा।	-
	उप योग ए	**437.77**	**175.35**	**178.73**						
आरईसी	फीडर विभक्तीकरण	708.23	261.75	259.97	वितरण के समय प्रचलित में (11से12.5%)	15/01/2015 तक	10 समान वार्षिक किश्तों में	तिमाही20 मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर को	रू.708.23 करोड़ की सीमा तक कंपनी को योजना की स्वीकृत ऋण राशि से भविष्य सृजित आस्तियों के हायपोथिकेशन पर	शासन की अधिकतम गारंटी स्वीकृत ऋण राशि रू. 849.89 करोड़ की 120%.
	जेबीआईसी	95.29	76.26	80.91	वितरण के समय प्रचलित में (9%से 12.5%)	जेबीआईसीI 15/03/14 तक एवं & जेबीआईसीII15/09/15तक	10 समान वार्षिक किश्तों में	तिमाही20 मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर को	रू. 95.29करोड़ की सीमा तक कंपनी को योजना की स्वीकृत ऋण राशि से भविष्य सृजित आस्तियों के हायपोथिकेशन पर	रू. 28.43करोड़ शासन की गारंटी की अधिकतम राशि
	आर.ए.पी.डी.आर.पीपार्ट बी	405.44	192.21	134.76	वितरण के समय प्रचलित में (11%से 12.5%)	15/12/2015 तक	10 समान वार्षिक किश्तों में	तिमाही20 मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर को	आर.ए.पी.डी.आर.पीपार्ट बी योजना अंतर्गत ऋण से प्राप्त रू. 405.44 करोड तक भविष्य सृजित सभी चल संपत्तियां एवं स्टॉक के हायपोथिकेशन परसमरूप आधार पर	शासन की अधिकतम गारंटी स्वीकृत ऋण राशि रू. 486.54 करोड़ की 120%.
	उप योग बी	**1208.96**	**530.22**	**475.64**						
कुल सुरक्षित ऋण (ए+बी)		**1646.73**	**705.57**	**654.37**						

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ऋणदात्री अभिकरण	ऋण/स्कीम नाम	ऋण राशि (रू. करोड़ में)	31/03/15 को शेष	31/03/14 को शेष	ब्याज दर	पुनर्भुगतान केनियम एवं शर्तें			प्रतिभूति का विवरण	शासन की गारंटी
			मूलधन	मूलधन		विलम्ब काल अवधि	मूलधन पुनर्भुगतान अवधि	ब्याज पुनर्भुगतान		
असुरक्षित ऋण										
पी.एफ.सी	आरटीएल (एफओबीएस में एमपीएसईबी द्वारा हस्तांतरित)	55.08	7.04	14.51	12.75%	-	प्रत्येक वर्ष की तिमाही 15 अप्रैल,15 जुलाई, 15 अक्टूम्बर, एवं 15 जनवरी	मूलधन अनुसार	-	शासन की गारंटी एमपीएसईबी द्वारा ली गई ।
आरईसी	**एमटीएल** ऋण	350.00	350.00	-	12.25%	31/12/2015 तक 12 माह	24 समान मासिक किस्त	मासिक	-	
आरईसी	दीर्घकालिक ऋण(एफओबीएस में एमपीएसईबी द्वारा हस्तांतरित)	80.05	38.19	44.98	8%	-	मासिक ई.एम.आई	मूलधनअनुसार	-	शासन की गारंटी एमपीएसईबी द्वारा ली गई ।
	दीर्घकालिक ऋण(एमपीएसईबी द्वारा अतिरिक्त दायित्व के रूप में हस्तांतरित)	55.50	28.54	34.89	11.75%		मासिक ई.एम.आई	मूलधन अनुसार	-	शासन की गारंटी एमपीएसईबी द्वारा ली गई ।
	उप योग–ए	**540.63**	**423.77**	**94.38**						
एडीबी	एडीबी -2347	235 (अनुमानित)	195.70	197.01	एडीबी दर (सम आफ लायबोर + 0.60%)+1%	25 मार्च 2014 तक	40 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तें	अर्ध वार्षिक 30 सितम्बर एवं 31 मार्च.	-	-
	एडीबी -2520	250(अनुमानित)	182.99	156.32	एडीबी दर (सम आफ लायबोर + 0.40%-.20%)+1%	03 मई 2015 तक	40 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तें	अर्ध वार्षिक 30 सितम्बर एवं 31 मार्च.	-	-
	एडीबी -2764	270 (अनुमानित)	174.81	153.77	एडीबी दर (सम आफ लायबोर + 0.60%-.03%)+1%	15 जुलाई 2016 तक	40 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तें	अर्ध वार्षिक 30 सितम्बर एवं 31 मार्च.	-	-
	एडीबी -2732	21.11 (अनुमानित)	23.88	11.42	एडीबी दर (सम आफ लायबोर + 0.60%-.03%)+1%	09 दिसम्बर 2016 तक	40 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तें	अर्ध वार्षिक 30 सितम्बर एवं 31 मार्च.	-	-
	एडीबी - पुराना(एफओबीएस में एमपीएसईबी द्वारा हस्तांतरित)	110.24	65.51	72.19	(9% To 12%)	-	20समान वार्षिक किश्तें	वार्षिक 15 मार्च अथवा आदेश का दिनांक (आदेशानुसार परिवर्तीतनीय)	-	-
	दीर्घकालिक ऋण (योजना कोष)	276.52	276.52	306.86	16.50%	-	5समान वार्षिक किश्तें	वार्षिक किश्तें	-	-
	एडीबी-2820	285 (अनुमानित)	186.97	147.61	एडीबी दर (सम आफ लायबोर + 0.60%)+1%	1 जून 2017 तक	40 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तें	अर्ध वार्षिक 30 सितम्बर एवं 31 मार्च.		
	एडीबी-3066	203 (अनुमानित)	30.80	-	एडीबी दर (सम आफ लायबोर + 0.60%-0.20%+0.10%)+1%	30 अप्रेल 2019 तक	40 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तें	अर्ध वार्षिक 30 सितम्बर एवं 31 मार्च.		
	उप योग बी	**1650.87**	**1137.18**	**1045.18**						
कुल असुरक्षित ऋण (ए+बी)		**2191.50**	**1560.95**	**1139.56**						-
एसएलआर बॉन्ड		-	-	-	-	-	-		-	-
पीपी बॉन्ड		-	-	-	13.70% से 17%	-	भुगतान हेतु अतिदेय	भुगतान हेतु अतिदेय	-	-
योग		**-**	**-**	**-**						

*31.03.2015 को ऋण शेष में मूलधनकी अतिदेय राशि सम्मिलित नही है।

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:6 अन्य दीर्घकालिक दायित्व

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	गैर चालू भाग		चालू परिपक्वता	
		31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	कर्मचारियों से संबंधित दायित्व वेतन पुनरीक्षण बकायासहित(तुलन पत्र दिनांक को वेतन पुनरीक्षण से सम्बन्धित राशि 31.96 करोड़)	0.00	105.62	144.40	72.77
2	"अन्य चालू दायित्व" शीर्ष के अंतर्गत दर्शित राशि (टिप्पण क्रं. 2.10)	-	-	(144.40)	(72.77)
3	उपभोक्ता सुरक्षा निधि	861.15	801.67	-	-
	योग	**861.15**	**907.30**	**-**	**-**

2:7 दीर्घकालिक प्रावधान

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	168.94	143.88
2	पेंशन हेतु प्रावधान	885.46	792.42
3	अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	3.45	2.97
	योग	**1,057.84**	**939.26**

2:8: अल्पकालिक उधारियां

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	**<u>मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण</u>** पी.एफ.सी. से कार्यकारी पूंजी ऋण (असुरक्षित)	-	-
	योग	**-**	**-**

दिनांक 31.03.2015 को पुनर्भुगतान में चूक की राशि निरंक

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:9 व्यापारिक देय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
अ)	**सामान्य व्यापारिक देय**		
1	एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम में आवृत पक्षों को देय राशि (टिप्पणं क्रं. 3.21)	-	-
2	पूर्तिकर्ता/ठेकेदार/सेवा प्रदाता हेतु दायित्व	549.00	370.37
	उप योग	**549.00**	**370.37**
ब)	**एम.पी.पी.एम.सी.एल /एम.पी. पी.टी.सी.एल को देय**		
1	उर्जा क्रय हेतु दायित्व (एम.पी.पी.एम.सी.एल)	322.69	202.33
2	पारेषण प्रभार हेतु दायित्व (एम.पी. ट्रांसको)	454.32	427.33
3	एम.पी.पी.एम.सी.एल के लिए अन्य दायित्व	-	-
	उप योग	**777.01**	**629.67**
	योग(अ+ब)	**1,326.01**	**1,000.03**

2:10 अन्य चालू दायित्व

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
अ)	**दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता** (तुलन पत्र दिनांक से 12 माह में देय) टिप्पणं क्रं. 2.5 संदर्भित)	195.80	144.90
	उप योग	195.80	144.90
ब)	**उधारियों पर मूलधन पुनर्भुगतान अतिदेय**		
I)	**म.प्र.शासन के ऋणों के अतिरिक्त**		
1	बॉन्ड (एस.एल.आर)	-	-
2	ऋणपत्र (पी.पी.बॉन्ड)	29.03	29.03
3	पी.एफ.सी से ऋण		
(i)	दीर्घकालिक उधारियां	-	0.24
(ii)	अल्पकालिक उधारियां	-	-
4	ए.डी.बी योजना की काउंटर पार्ट फडिंग हेतु पी.एफ.सी. ऋण	-	-
5	आर.ई.सी से ऋण	-	-
6	आर.ई.सी–जे.बी.आई.सी से ऋण	-	-
7	फीडर विभक्तिकरण हेतु आर.ई.सी से ऋण	-	-
8	आर.ई.सी से प्राप्त ऋण (अतिरिक्त दायित्व)	-	-
	उप योग (1 से 8)	29.03	29.26
II)	**म.प्र.शासन के ऋण पर**		
9	म.प्र.शासन से ऋण	46.59	83.57
	मूलधन पर देय कुल पुनर्भुगतान(I+II)	75.62	112.83

निरंतर..2

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अन्य चालू दायित्व पूर्व पृष्ठ से जारी

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
सी)	**उपार्जित एवं देय ब्याज**		
I)	**म.प्र.शासन के ऋण के अतिरिक्त**		
10	बॉन्ड (एस.एल.आर)	0.00	0.00
11	ऋणपत्र (पी.पी.बॉन्ड)	5.49	5.49
12	पी.एफ.सी से ऋण		
(i)	दीर्घकालिक उधारियां	-	0.30
(ii)	अल्पकालिक उधारियां	-	-
13	ए.डी.बी योजना की काउंटर पार्ट फडिंग हेतु पी.एफ.सी. ऋण	-	-
14	आर.ई.सी से ऋण	-	-
15	आर.ई.सी–जे.बी.आई.सी से ऋण	-	-
16	फीडर विभक्तीकरण हेतु आर.ई.सी से ऋण	-	-
17	आर.ई.सी से प्राप्त ऋण (अतिरिक्त दायित्व)	-	-
	उप योग (10 से 17)	5.49	5.79
II)	**म.प्र.शासन के ऋण पर**		
18	राज्य शासन के पूंजी दायित्व पर	129.93	299.65
	कुल ब्याज उपार्जित एवं देय (I+II)	135.42	305.44
19	ब्याज उपार्जित किन्तु देय नही	76.75	80.09
	उप योग	76.75	80.09
	अग्रिम में प्राप्त आय		
21	म.प्र.शासन से अग्रिम में प्राप्त सहायिकियां	-	-
22	अग्रिम में प्राप्त अन्य आय	7.15	4.95
	उप योग	7.15	4.95
डी)	**अन्य चालू दायित्व**		
23	शासन को देय विद्युत शुल्क एवं उपकर	33.50	37.59
24	अन्य विभिन्न कर संबंधी दायित्व	13.40	2.81
25	वेतन पुनरीक्षण बकाया सहित कर्मचारी संबंधित दायित्व (टिप्पणं क्रं. 2.6 संदर्भित)	144.40	72.77
26	पूर्तिकर्ता /ठेकेदार से जमा	40.06	35.36
27	उपभोक्तओ से कार्य हेतु जमा	82.19	69.30
28	अन्य विविध चालू दायित्व	72.32	28.15
29	अंतिम प्रांरभिक तुलन पत्र के कारण अंतर (टिप्पणं क्रं. 3.2 संदर्भित)	69.92	35.03
	उप योग (23 से30)	455.79	281.01
	कुल चालू दायित्व (ए+बी+सी)	**946.53**	**929.23**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:11: मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां

(रू करोड़ो में)

अनु. क्रं.	आस्तियां समूह	सकल खंड				अवक्षयण के लिए प्रावधान				शुद्ध खंड	
		यथा 31/मार्च/14 को	2014-15 मे जोड	2014-15 मे घटाव	यथा 31/मार्च/15 को	यथा 31/मार्च/14 को	2014-15 के लिए	2014-15 मे घटाव	यथा 31/मार्च/15 को	यथा 31/मार्च/14 को	यथा 31/मार्च/15 को
ए)	**मूर्त आस्तियां**										
I)	**स्वामित्व आस्तियां**										
1	भूमि एवं भूमि अधिकार										
	i) लीज होल्ड भूमि	1.32			1.32	0.22			0.22	1.10	1.10
	ii) पूर्ण स्वामित्व की भूमि	4.25	-	-	4.25	0.00	0.04		0.04	4.25	4.20
2	भवन	80.15	7.10	-	87.25	28.40	2.76		31.16	51.75	56.08
3	जल शक्ति संकर्म	7.13	-	-	7.13	4.84	(0.00)		4.84	2.30	2.30
4	अन्य सिविल संकर्म	3.38	0.94	-	4.33	2.24	0.40		2.63	1.15	1.69
5	संयत्र एवं मशीनरी	1,652.65	117.50	6.30	1,763.86	721.15	77.78	5.13	793.80	931.50	970.06
6	लाईन और केबल नेट वर्क्स	2,195.74	287.31	7.72	2,475.33	1,191.85	71.90	6.92	1,256.83	1,003.89	1,218.50
7	वाहन	4.90	0.00	0.40	4.51	4.31	0.03	0.36	3.99	0.59	0.52
8	फर्नीचर एवं फिक्चर	3.76	0.71	-	4.47	2.06	0.16		2.21	1.70	2.25
9	कार्यालय उपकरण	16.70	9.05	-	25.75	7.39	2.30		9.69	9.32	16.06
						-			-	-	-
	उप योग(1 से 9)	**3,970.00**	**422.61**	**14.42**	**4,378.19**	**1,962.45**	**155.38**	**12.41**	**2,105.42**	**2,007.54**	**2,272.77**
II)	**आर.जी.जी.वी.व्हाय स्कीम अंतर्गत आस्तिया/उपभोक्ता अभिदान**										
	i) लाईन एवं केबल्स	250.63	111.65	-	362.28	19.17	16.32	-	35.49	231.46	326.79
	ii) वितरण ट्रांसफार्मर	61.29	15.20	-	76.49	5.22	3.76	-	8.99	56.07	67.50
	iii) मीटर	31.47	15.28	-	46.75	2.48	2.10	-	4.58	28.99	42.16
	iv) सब स्टेशन	0.18	-	-	0.18	0.01	0.01	-	0.02	0.18	0.17
	v) भवन	0.86	-	-	0.86	0.08	0.03	-	0.11	0.78	0.75
	उप योग (i से v)	**344.43**	**142.12**	**-**	**486.56**	**26.96**	**22.22**	**-**	**49.19**	**317.47**	**437.37**
	योग (I + II) [ए]	**4,314.43**	**564.74**	**14.42**	**4,864.75**	**1,989.42**	**177.60**	**12.41**	**2,154.61**	**2,325.01**	**2,710.14**
बी)	**अमूर्त आस्तियां**										
1	कम्प्युटर साफ्टवेयर	0.45	15.87	-	16.32	0.01	0.79	-	0.80	0.43	15.52
	उप योग [बी]	0.45	15.87	-	16.32	0.01	0.79	-	0.80	0.43	15.52
	महा योग (ए+बी)	**4,314.87**	**580.61**	**14.42**	**4,881.07**	**1,989.43**	**178.39**	**12.41**	**2,155.41**	**2,325.45**	**2,725.66**
	पूर्ववर्ती वर्ष	*3,867.08*	*466.33*	*18.54*	*4,314.87*	*1,842.47*	*163.65*	*16.69*	*1,989.43*	*2,024.61*	*2,325.45*

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:12: पूंजीगत कार्य प्रगति में

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
ए)	**पूंजीगत कार्य प्रगति में**		
1	पूंजीगत कार्य प्रगति में	1,500.47	1,311.94
	योग	**1,500.47**	**1,311.94**

2:13: गैर चालू निवेश

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
ए)	**व्यापारिक निवेश**		
I)	**समता में निवेश**		
1	ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति की अंशपूंजी में निवेश	1.37	1.37
	घटाईये :		
	निवेश जिनके मूल्य में अस्थाई कमीहो, के अतिरिक्त अन्य हेतु प्रावधान (टिप्पणं क्रं. 3.20 संदर्भित)	1.37	1.37
	योग	**-**	**-**

2:14: दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
	अग्रिम		
I)	**पूंजीगत अग्रिम**		
1	पूर्तिकता /ठेकेदारों (पूंजीगत) हेतु अग्रिम (असुरक्षित उत्तम माने गये)	219.16	302.34
II)	जमा	3.49	0.65
III)	**अन्य अग्रिम**		
2	कर्मचारी वृन्द को ऋण एवं अग्रिम (स्वत्व विलेख बंधक रखकर उत्तम माने गये)	(0.03)	0.01
3	स्त्रोत पर काटा गया अग्रिम आय कर (असंरक्षित उत्तम माने गये)	8.79	7.07
4	आगत कर छूट/प्राप्त योग्य वेट	4.11	3.44
5	अन्य	3.74	3.74
	योग	**239.26**	**317.25**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:15: सूचियां (इन्वेन्ट्रीज)

सूचियां (इन्वेन्ट्रीज) का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध प्राप्य योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया गया

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
	भंडार एवं पुर्जे		
1	निर्माण–भंडार पर सामग्रियों का स्टाक	86.49	135.67
2	अन्य भंडारो पर स्टाक सामग्रियां	201.79	134.84
3	कार्यस्थल पर सामग्री (पूंजी)	172.21	86.87
4	कार्यस्थल (संचा/संधा) पर सामग्रियां	-	-
5	निरीक्षण लंबित सामग्रियां (पूंजी)	12.12	0.53
6	निरीक्षण लंबित (संचा/संधा) सामग्रियां	-	0.83
7	मार्गस्थल सामग्रियां		
(i)	पूंजीगत	0.00	(6.10)
(ii)	संचा/संधा	-	(9.15)
8	अन्य सामग्री खाते	12.57	42.61
9	अनुसंधान के लंबित, सामग्रियां स्टाक आधिक्य/कमी	0.02	0.02
	योग	**485.20**	**386.12**

2:16 व्यापारिक प्राप्य

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
अ)	**उर्जा के विक्रय से उपभोक्ताओ से प्राप्य**		
I	**छः माह से अधिक अदत्त**	2245.96	2233.28
II	**छः माह से कम अदत्त**	372.33	176.85
	(23.106 से 23.116 और 23.4XX को छोड़कर) असुरक्षित उत्तम माने गये रू.. 2009.04करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू. 1726.77करोड़) संदिग्ध राशि (स्थाई विच्छेदित उपभोक्ता) : रू. 609.24करोड (पूर्ववर्ती वर्ष रू.683.36करोड)		
	उप योग	2,618.28	2,410.12
	घटाया: उपभोक्ताओ से संदिग्ध देय हेतु प्रावधान	982.83	982.14
	योग	1,635.45	1,427.99
ब)	**शासन से प्राप्य**		
1	शासन से प्राप्य टेरिफ सहायिकी	626.37	449.31
	योग (अ+ब)	**2,261.82**	**1,877.29**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:17: नकद एवं नकद समतुल्य

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	बैंको में शेष	151.61	107.79
2	हस्तस्थ चेक्स, ड्राफ्ट	0.00	0.01
3	हस्तस्थ नकदी	0.05	0.14
4	मार्गस्थ रोकड़	0.22	2.32
5	उचंत सग्रंह लेखा	-	-
6	बैंको में सावधि जमा के रूप में शेष	547.88	391.64
	योग	**699.77**	**501.89**

2:18: अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
अ)	**अन्य को**		
1	संचा/संधा आपूर्ति/कार्य हेतु अग्रिम	75.42	25.20
2	उर्जा क्रय हेतु अग्रिम	-	-
3	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	0.33	0.45
4	अन्य ऋण एवं अग्रिम	0.19	0.18
	योग	**75.94**	**25.83**

2:19: अन्य चालू आस्तियां

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों इत्यादि से वसूली योग्य राशि	0.12	0.04
2	अन्य प्राप्य एवं दावे	15.99	27.18
3	उपार्जित एवं देय आय	-	-
4	उपार्जित किन्तु अदेय आय	-	0.01
5	विविध देनदार व्यापारिक खाते	29.48	31.24
6	जारी न किये देयक के राजस्व हेतु प्रावधान	251.36	211.73
	योग	**296.95**	**270.20**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:20: प्रचालन से राजस्व

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
	उत्पाद का विक्रय		
ए)	**उर्जा के विक्रय से राजस्व**		
(I)	**उपभोक्तओं से**		
1	अन्तर्राज्यीय विक्रय	-	-
2	घरेलू प्रकाश एवं पंखा	1,732.57	1,513.36
3	वाणिज्यिक प्रकाश एवं पंखा	573.30	531.05
4	औद्योगिक मध्यम एवं निम्न वॉल्टेज	306.79	299.09
5	औद्योगिक शक्ति : उच्च दाब	1,904.95	1,891.52
6	सार्वजनिक प्रकाश (निम्न दाब)	65.37	59.10
7	सिंचाई और कृषि जल निकासी (उ.दा/नि.दा)	1,401.93	959.35
8	सार्वजनिक जल संकर्म और मल पंप (उ.दा/नि.दा)	209.65	209.17
9	थोक प्रदाय : (उ.दा–अन्य)	110.97	4.41
10	रेल कर्षण (उ.दा/नि.दा)	258.31	247.18
11	उपभोक्ता से अन्य राजस्व	57.75	66.86
	उप योग (1 से 11)	6,621.59	5,781.08
(II)	**म.प्र.शासन से राजस्व सहायिकी**		
11	उपभोक्ताओं के वास्ते शासन से टेरिफ सहायिकी	1,380.39	921.54
	उप योग	1,380.39	921.54
	योग (I + II)	8,001.98	6,702.62
-			
12	विद्युत शुल्क वसूली	452.27	415.87
13	अन्य राज्य उदग्रहण की वसूली	1.35	0.00
	उप योग (12+13)	453.62	415.87
	घटाया :		
12ए	देय विद्युत शुल्क (कान्ट्रा)	452.27	415.87
13ए	अन्य राज्य उदग्रहण देय (कान्ट्रा)	1.35	0.00
	उप योग (12ए+13ए)	453.62	415.87
	उत्पाद के विक्रय से कुल राजस्व	**8,001.98**	**6,702.62**
	सेवाओं का विक्रय		
14	मीटर प्रभार	48.92	43.20
15	चक्रण/यू.आई.प्रभार वसूली	1.93	9.06
16	पर्यवेक्षण प्रभार	12.77	15.61
	उप योग (14 से 16)	63.62	67.86
बी)	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
17	स्क्रेप का विक्रय	24.80	27.59
18	उपभोक्ता से विलंब संदाय प्रभार	132.57	119.04
19	उपभोक्ता अभिदान परिशोधन	45.48	39.50
	उप योग (17 से 21)	202.85	186.14
	परिचालन से सकल राजस्व	**8,268.45**	**6,956.62**

(डॉ शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:21: अन्य आय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
ए)	**ब्याज आय**		
1	कर्मचारी वृन्द के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	0.37	0.01
2	बैंको में सावधि जमा पर ब्याज	30.45	22.54
3	अनुज्ञप्तिधारियों को ऋण/अग्रिम पर ब्याज	-	-
5	आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारो के अग्रिम पर ब्याज	1.97	13.22
6	बैंको से ब्याज (सावधि जमा के अलावा)	0.00	0.00
	उप योग (1 से 5)	32.79	35.77
बी)	**अन्य गैर परिचालन आय**		
7	समाधान योजनान्तर्गत शासन से वसूलीयोग्य ब्याज से आय	-	-
8	व्यापार से आय (उर्जा के अलावा)	6.99	5.91
9	कर्मचारी कल्याण गतिविधि से आय	0.01	0.00
10	विविध प्राप्तियां	19.16	48.28
	उप योग (7 से 10)	26.16	54.19
	योग	**58.95**	**89.96**

2:22: उर्जा क्रय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
ए)	**उर्जा क्रय**		
1	एम.पी.एस.ई.बी/एम.पी.ट्रेडको/एम.पी.पी.एम.सी.. से उर्जा का क्रय	7,285.35	6,697.80
बी)	**पारेषण प्रभार**		
2	एम.पी.पी.टी.सी.एल. को पारेषण प्रभार	807.89	857.97
	योग	**8,093.24**	**7,555.77**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

2:23: कर्मचारी लाभ व्यय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	वेतन	333.77	339.71
2	अतिकाल	-	-
3	मंहगाई भत्ता	278.58	242.03
4	अन्य भत्ते	17.36	16.29
5	बोनस/अनुग्रह राशि	0.35	0.45
6	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1.15	1.56
7	अवकाश यात्रा सहायता	-	-
8	शिक्षण शुल्क व्यय प्रतिपूर्ति	-	-
9	अर्जित अवकाश नकदीकरण	10.96	12.41
10	अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिकर नकद प्रतिपूर्ति	-	-
11	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन भुगतान	1.13	1.38
12	कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर किया गया व्यय	-	-
13	कर्मचारियों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति	4.71	11.83
14	अंतरिम राहत तथा अतिरिक्त वेतन	0.01	0.02
15	कर्मचारी वृन्द कल्याण व्यय	0.65	0.94
16	सेवान्त लाभ	131.28	119.19
	कर्मचारी लाभ व्यय सकल	**779.95**	**745.81**
	घटाईये:		
17	कर्मचारी लागत का पूंजीकरण	26.69	25.23
	कर्मचारी लाभ व्यय शुद्ध	**753.26**	**720.58**

2:24: वित्तीय लागत

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	राज्य शासन के ऋण पर ब्याज	48.39	59.76
2	अन्य ऋणों पर ब्याज		
ए)	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का ऋण	69.80	48.55
बी)	उर्जा वित्त निगम से ऋणों पर ब्याज	20.05	18.09
सी)	म.प्र.रा.वि.मं. से ऋण	-	-
डी)	बांड (एसएलआर)	-	-
ई)	ऋणपत्र (पी.पी.)	-	-
एफ)	जेबीआईसी–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के ऋण	-	8.87
3	पूंजीगत दायित्वों संबंधित दांडिक ब्याज	1.21	1.38
	उप योग (1 से 3)	139.44	136.65

निरंतर.....2

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय लागत पूर्व पृष्ठ से निरंतर....

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
4	उपभोक्ताओं को ब्याज	61.34	54.12
5	कार्यशील पूंजी के लिए उधारियों पर ब्याज	10.52	34.84
6	अन्य ब्याज और वित्तीय प्रभार	-	-
7	उपभोक्ताओं को बिलों के समय पर संदाय के लिए छूट	1.04	0.97
8	प्रदायकर्ताओं/ठेकेदारों को ब्याज	-	-
9	नियत कालिक निक्षेपों पर ब्याज	-	-
10	अभिदायी भविष्य निधि पर ब्याज	-	0.00
11	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	0.00	-
12	कर्मचारी वृन्द से प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	-	-
13	अन्य ब्याज	-	0.11
14	वित्त प्राप्त करने की लागत	0.00	0.01
15	अन्य प्रभार	12.41	57.40
16	गारंटी के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई रकम पर ब्याज	-	-
17	आर.ई.सी को ब्याज भुगतान (आर.जी.जी.व्ही.व्हाय निधि पर उपार्जन)		13.62
	सकल ब्याज	**224.75**	**297.72**
	घटाईये:		
17	समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज में छूट	0.18	0.17
18	ब्याज एवं वित्तीय व्ययों का पूंजीकरण	22.69	21.53
	शुद्ध ब्याज/वित्तीय लागत	**201.88**	**276.02**

2:25: अवक्षयण एवं परिशोधन व्यय

(रू करोड़ो में)

क	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	अवक्षयण एवं संबंधित मदें	176.83	148.71
2	लघु एवं निम्न मूल्य अपलेखन	0.00	0.01
	योग	**176.83**	**148.72**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मख्य वित्तीय अधिकारी

2:26: अन्य व्यय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	मरम्मत और अनुरंक्षण व्यय (टिप्पणं: 2.26.1 को संदर्भित)	99.24	109.14
2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय (टिप्पणं: 2.26.2 को संदर्भित)	124.49	105.57
3	विविध व्यय (टिप्पणं: 2.26.3 को संदर्भित)	87.45	137.98
4	पूर्व अवधि (जमा)/व्यय (टिप्पणं: 2.26.4 को संदर्भित)	6.79	18.58
	योग	**317.97**	**371.27**

2:26:1 मरम्मत और अनुरंक्षण

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	संयत्र और मशीनरी	83.79	89.75
2	भवन	5.68	6.34
3	सिविल वर्क्स	0.87	1.22
4	जल संकर्म	-	-
5	लाईन, केबल, नेटवर्क आदि	13.50	10.69
6	वाहन अनुरक्षण व्यय	0.88	1.19
7	फर्निचर और फिक्सचर	0.13	0.20
8	कार्यालय उपकरण	0.65	0.67
9	स्टेशन प्रदाय वितरण और पारेषण	-	-
	सकल मरम्मत एवं अनुरंक्षण व्यय	**105.51**	**110.05**
10	घटाइये: मरम्मत और अनुरंक्षण प्रभार	6.26	0.92
	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरंक्षण व्यय	**99.24**	**109.14**

2: 26:2:प्रशासन एवं सामान्य व्यय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	भाड़ा दर एवं कर		
ए)	भाड़ा	0.29	0.37
बी)	दरें और कर	7.17	8.13
सी)	प्रवेश कर	3.11	7.59
डी)	वाणिज्यिक कर	-	-
ई)	वृत्ति कर	0.00	-
2	बीमा	-	0.02
3	संचार व्यय		
ए)	टेलीफोन प्रभार डाक एवं फेक्स व्यय	4.31	4.09
बी)	संचार सुविधा की ए.एम.सी	0.20	-
सी)	इंटरनेट सुविधा व्यय	0.18	0.11
	उप योग (1 से 3)	15.26	20.31

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मख्य वित्तीय अधिकारी

निरंतर ...2

प्र.एवं सा. व्यय पूर्व पृष्ठ से निरंतर

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
4	विधिक प्रभार	2.46	3.53
5	लेखा परीक्षा शुल्क	0.60	0.78
6	परामर्श प्रभार	2.26	0.59
7	तकनीकी फीस	-	-
8	अन्य वृत्तिक प्रभार	0.56	1.91
9	वाहन और यात्रा व्यय	26.32	25.02
10	अन्य व्यय		
ए)	शुल्क एवं अभिदान	*0.01*	*0.03*
बी)	पुस्तकें और पत्रिकाएं	*0.03*	*0.04*
सी)	मुद्रण और लेखा सामग्री	*3.75*	*4.21*
डी)	विज्ञापन (समाचार पत्रों में)	*0.23*	*0.40*
ई)	सेवा एवं अनुबंध कार्य	*47.81*	*21.56*
एफ)	उर्जा की चोरी एवं कदाचार खोज की सूचना देने वालो को ईनाम	-	*0.00*
जी)	म.प्र.पॉ.मे.कं.लि. द्वारा किये गये संयुक्त व्यय	-	*0.07*
एच)	विद्युत प्रभार (कार्यालयों)	*21.42*	*17.72*
आई)	जल प्रभार	*0.62*	*1.54*
जे)	नि.दा. मीटरों का परीक्षण /वाचन ठेके पर	*1.17*	*1.51*
के)	मनोरंजन	*0.10*	*0.12*
एल)	विक्रय संवर्धन व्यय	*0.13*	*2.10*
एम)	विविध व्यय	*2.20*	*1.06*
11	माल भाड़ा	0.25	0.40
12	क्रय से संबंधित अन्य व्यय	5.93	8.80
	उप योग (4 से 12)	115.85	91.40
	सकल प्रशासन एवं सामान्य व्यय	**131.11**	**111.71**
13	घटाईये: प्रशासन एवं सामान्य व्यय पूंजीकरण	6.63	6.15
	शुद्ध प्रशासन और सामान्य व्यय	**124.49**	**105.57**

2:26:3: विविध व्यय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	सामग्री लागत विचलन	-	-
2	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
3	व्यापारिक लागत/अन्य हानि (शुद्ध)	6.62	4.16
4	वर्ष के दौरान डूबत और शंकास्पद ऋण जो अपलिखित है जिनके लिए उपबंध किया गया है।	80.69	132.14
5	विविध व्यय	0.14	1.68
	योग	**87.45**	**137.98**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मख्य वित्तीय अधिकारी

2:26:4: शुद्ध पूर्ववर्ती अवधी (जमा)/व्यय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
1	पूर्ववर्ती अवधी के उपभोक्ता संबंधी (जमा)/व्यय	-	-
2	पूर्ववर्ती अवधी के विद्युत क्रय संबंधी (जमा)/व्यय	-	-
3	पूर्ववर्ती अवधी के कर्मचारी संबंधी (जमा)/व्यय	(0.45)	(0.04)
4	पूर्ववर्ती अवधी के ब्याज (जमा)/व्यय	0.00	(0.84)
5	पूर्ववर्ती अवधी के कर संबंधी (जमा)/व्यय	-	-
6	पूर्ववर्ती अवधी के अवक्षयण संबंधी (जमा)/व्यय	1.56	14.93
7	पूर्ववर्ती अवधी के प्रशासन एवं सामान्य व्ययों संबंधी (जमा)/व्यय	-	-
8	पूर्ववर्ती अवधी संबंधी अन्य मदें (जमा)/व्यय	5.68	4.54
	कुल पूर्ववर्ती अवधी के (जमा)/व्यय	**6.79**	**18.58**

2:27: अपवादात्मक मदें (आय)/व्यय

(रू करोड़ो में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
ए)	**अपवादात्मक (आय)/व्यय**		
1	म.प्र.ट्रांसको द्वारा अपलिखित राशि (टीप क्रं. 3.23 संदर्भित)	(154.93)	(214.82)
	योग अपवादात्मक (आय)/व्यय	**(154.93)**	**(214.82)**

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

3:0 : 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पण

3:1: कम्पनी दिनांक 31 मई 2002 को निगमित की गई थी तथापि म.प्र. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 226 दिनांक 31 मई 2005 के तहत दिनांक 01 जून 2005 से कम्पनी की वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारम्भ की गई । कंपनी मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर एवं उज्जैन संभाग क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवसाय में संलग्न है, तथा यह विद्युत अधिनियम 2003 कें प्रावधानों से शासित है। इस अधिनियम के प्रावधान सहपठित अधिनियमान्तर्गत निर्मित नियम, असंगतता की स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर अधिशासि होगें। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा कथित न हो, उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) एवंक्रिया और कंपनीज (लेखामानक) नियम 2006 के द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किये जाते है।

3:2: म.प्र शासन ने अधिसूचना क्र. 292 दिनांक 12 जून 2008 से कंपनी के अंतिम प्रारभिक शेष सूचित किये थे अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं आगे के वित्तीय विवरणों में इन्हें संविलीत किया गया। यद्यपि प्रारंभिक शेषो के कुछ मदों के लिये न्यायोचितता/स्पष्टीकरण अब तक म,प्र,रा,वि,मं,/म.प्र.पॉ.मे.कं. से समाधान लंबित है, तब तक लेखों के शेष 69.92 करोड (जमा) {पूर्ववर्तीय वर्ष रू. 35.03 करोड़ (जमा)}कोलेखा कूट 46.947में स्थानांतरित किया गया है एवं अन्य चालू दायित्व शीर्ष अंतर्गत दर्शाया गया है।

3:3: उपभोक्ता सहायकी खाते तथा दर्शीत नियंत्रण खाते के मध्य प्राप्य राशि के शेषों में अंतर है । आकड़ो के मध्य समाधान की प्रक्रिया समाधान अंतर्गत है। समाधान काफी समय से लंबित रहने के कारण एवं इनका लाभ–हानि लेखा या तुलन पत्र पर पड़ने वाला प्रभाव सुनिश्चिय योग्य नही है।

3:4: तत्कालीन म.प्र.रा.वि.मं द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति के अनुरूप कर्मचारी ऋणों के ब्याज का प्रावधान कंपनी के पास उपलब्ध वास्तविक ऋण शेषों पर किया गया है।.

3:5: म,प्र,रा,वि,मं,/म.प्र.पॉ.मे.कं.लि.द्वारा इसकी कार्यशील पूंजी हेतु लिये गये ऋण में कंपनी के हिस्से पर ब्याज का लेखांकन ब्याज एवं वित्त प्रभार शीर्ष यदि कोई हो अंतर्गत किया है। यह म.प्र.शासन द्वारा अधिसूचित प्रचलित रोकड़ प्रवाह प्रणाली अनुसार है।

3:6: म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 292 दिनांक 12 जून 2008 के द्वारा स्थानान्तरित प्रारंभिक शेषों में स्थाई आस्तियों के शेषों में भूमि एवं भवन के रूप में सम्मलित है जिनके स्वत्व विलेख/सम्बन्धित प्रपत्र कम्पनी में नही है जो कम्पनी के पक्ष में अब तक निष्पादनकिये जाने है।

3:7: व्यय का प्रावधान केवल 30 अप्रैल तक प्राप्त देयक/इन्वाइस के आधार पर किया गया है। यद्यपि इस दिनांक के पश्चात प्राप्त देयक/इन्वाइस का लेखा, जैसा कि अनेक वर्षो की संगत प्रथा है तथा जिसमें विसंगति नही पायी गई है, की तरह, अगले वित्तीय वर्ष में किया है। अगले वर्ष में इस प्रकार के माने गये व्यय की राशि सुनिश्चय योग्य नही है।

3:8: कंपनी प्रांरभ से ही न तो अचलायमान एवं अप्रचलित स्कंधों एवं पुर्जे की पहचान कर रही है और न ही कोई प्रावधान किया गया है एवं इसका लाभ हानि लेखा पर पड़ने वाला प्रभाव सुनिश्चित योग्य नही है।

3:9: कम्पनी के विरूद्ध दावे एवम् न माने गये ऋण यदि कोई हो तो, को सुनिश्चित नहीं किया गया हैं निरंक (गत वर्ष निरंक)

3:10: वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय निरंक (गतवर्ष – निरंक)

3:11: आयात का सी.आई.एफ मूल्य निरंक (गतवर्ष – निरंक)

3:12: विदेशी मुद्रा में उपार्जन निरंक (गतवर्ष – निरंक)

3:13: संचालकों को भुगतान की गई बैठक फीस निरंक (गतवर्ष – निरंक)

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

3:14: अंकेक्षको को पारिश्रमिक :–

वर्ष 2014 – 15 के दौरान विभिन्न अंकेक्षको को पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधित निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2014-15
1	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	रू. 0.0400करोड़
2	कर अंकेक्षण शुल्क	रू. 0.0089 करोड़
3	लागत अंकेक्षण शुल्क	रू. 0.0084करोड़
4	वेट अंकेक्षण शुल्क	रू. 0.0099 करोड़

(लागू कर एवं किये गये वास्तविक व्ययों के पुनर्भुगतान को छोड़कर, यदि कोई)

3:15: म.प्र.राज्य विद्युत मंडल एवं असमूहीकृत इकाईयों के मध्य स्वीकृत परिचालनात्मक प्रबंधन के भाग के रूप में समस्त कम्पनियों के रोकड़ प्रबन्धन का कार्य म.प्र.राज्य विद्युत मंडल (दिनांक 13.04.2012 की प्रभावी तिथि से म.प्र.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) को सौंपा गया है। यह केन्द्रीयकृत रोकड़ नियंत्रण प्रणाली चालू वित्त वर्ष में कार्यशील रही है एवं राज्य शासन के अगले आदेश तक कार्यशील रहेगी।

3:16: संयुक्त रूप से सेवा प्रदान करने वाले विभागो की संयुक्त लागत में से कम्पनी के हिस्सें को म.प्र.पॉ.मे.कं.लि. से प्राप्त परामर्श के आधार पर प्रभारित किया गया है।

3:17: उर्जा क्रय व्यय एवं पारेषण प्रभार (प्रतिक्रियाशील प्रभार तथा यू.आई प्रभार सहित) व्यय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरों एवं प्राप्त देयकों/सलाहों की राशि की सीमा तक लिये गये है।

3:18: वित्त वर्ष 2014–15 में उपभोक्ता प्रतिभूति जमा राशियों पर ब्याज को 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से भुगतान किया गया है।

3:19: वर्ष के दौरान हुई हानि के कारण आयकर हेतु कोई प्रावधान नही किया है।

3:20: ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों में विनियोजित अंशों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने योग्य नहीं हैं क्योंकि इनके वित्तीय विवरण उपलब्ध नही है।यद्यपि समिति द्वारा अधिक हानि उठाये जाने के कारण कंपनी द्वारा इन ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के लिए विनियोजन के विरूद्ध पूर्ण प्रावधान किये गये है।

3:21: सूक्ष्म लद्यु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेस विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ''आपूर्तिकर्ताओं'' से कंपनी को उनकी यथास्थति संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नही हुई है। अतः कथित अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वर्ष के अन्त मेंसंबंधित राशि के साथ भुगतान किया गया ब्याज/भुगतान योग्य,यदि कोई हो, का प्रकटीकरण नही दिया गया है।

3:22: वर्ष 2006–07 के दौरान कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन विद्युत वितरण एवं संचालन संधारण हेतु 12 वितरण केन्द्रो (9 देवास में एवं 3 रतलाम में) के लिए फ्रेन्चायजी नियुक्त किये गये थे । इनमे से अधिकांश फ्रेन्चायजी अप्रवृत हो चुके है एवं इनसे प्राप्त होने वाली राशि (रू. 3.80 करोड़) अभी भी विविध देनदारो में प्रकट हो रही है जिसे पूर्ण रूप से प्राविधित किया गया है।इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के दौरान कम्पनी ने उज्जैन नगर वृत्त में भी फ्रेन्चायजी नियुक्त किया है । कम्पनी की लेखा पुस्तकों में फ्रेन्चायजी से सम्बन्धित व्यवहारों का उचित लेखा किया गया है।

3:23: वर्ष के दौरान म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा उनके पत्र क्रं. सीएफओ/ट्रांसको/रेव./02/1801 दिनांक 08.10.2014 द्वारा उनके पारेषण प्रभार की अदत्त भुगतान योग्य राशि रू. 154.93 करोड़ (पूर्ववर्तीय वर्ष रू. 214.820 करोड़) को अपलिखित किया गया।कंपनी ने कथित राशि को प्रकृति एवं राशि के दृष्टिगत वर्ष के दौरान लाभ हानि विवरण में अपवादात्मक मद रूप में दिखाया है।

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

3:24: अन्तर इकाई लेखांकन शीर्षों (31 से 37) के अन्तिम शेषों, को वर्षान्त में उनके संबंधित स्वाभाविक मदो में अन्तरित किया गया हैं । सामग्री शीर्ष हेतु अंतर इकाई व्यवहारों का समाधान प्रगति पर है। समाधान हेतु लम्बित राशियों का कूटवार विवरण सारणी बद्ध निम्नानुसार हैं :–

अनु. क्र..	अन्तर इकाई लेखा मद	राशि रूपये करोड़ो में विकलन/समाकलन की		टिप्पणी (को स्थानांतरित)
		वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14	
1	31 – सामग्रियां	निरंक	(15.25)	स्कन्ध
2	34 – मुख्यालय से कोष अंतरण	निरंक	0.14	रोकड़ एवं बैंक

3:25: वर्ष के दौरान रू. 22.69 करोड़ ब्याज राशि पूंजीकृत की गई एवं पूंजीगत आस्ति की लागत भाग में दर्शायी गई है। (टिप्पणं : 2.24 संदर्भित)

3:26: वित्त वर्ष के दौरान विखंडित ईकाइयों के बीच कार्यकारी आवश्यकताओं के कारण अन्तर कम्पनी व्यवहार हुऐ हैं। दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति में प्रत्येक कम्पनियों से प्राप्य/(को देय)का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं।

अनु. क्र.	कम्पनी का विवरण	राशि रू करोड़ो में (डी.आर/सी.आर)	
		वित्त वर्ष2014-15	वित्त वर्ष 2013-14
1	म.प्र. ट्रांसको	(2.28)	(6.99)
2	म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि.	0.11	0.48

उपरोक्त राशियॉ कम्पनीयों द्वारा पुष्टि/समाधान की शर्त के अधीन है।

3:27: **कर्मचारी लाभ - (ले.मा.15):**

1 जून 2005 की प्रभावी तिथि से कंपनी के अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारीयों को भुगतान योग्य सेवांत लाभ हेतु जैसे ग्रेच्यूटी, पेंशन अवकाश, नकदीकरण के दायित्व का प्रावधान वर्ष 2009–10 में कंपनी द्वारा लिए गये एक्चूरीयल मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार किया है। यद्यपि, कंपनी द्वारा उपरोक्त दायित्व को किसी ट्रस्ट/निधी के पक्ष में नियत नही किया है। पुनः वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31/03/2015 की स्थिति में कम्पनी के कर्मचारीयों/पेंशनधारकों को एक्च्युरियल मुल्यांकन करने हेतु कम्पनी ने एक एक्च्युरियल फर्म को नियुक्त किया है जो तुलनपत्र की तिथि को प्रक्रियाधीन है। एक्च्युरियल फर्म से एक्च्युरियल मुल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात कम्पनी की लेखा पुस्तको में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

3:28: **खंड प्रतिवेदन -(ले.मा.17):**

कंपनी में केवल एक ही खंड है तथा एक ही भौगोलिक खंड है अतः लेखा मानक 17 अनुसार पुनः खंडात्मक प्रतिवेदन संबंधी प्रकटन की आवश्यकता नही है।

3:29: **संबंधित पक्षकार व्यवहार (ले.मा.18):**

म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आदेश क्रं. 6071/13/12/02 दिनांक 20.03.2012 के अनुसार म.प्र.शासन द्वारा धारित अंशो को एम.पी.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को दिनांक 01.04.2012 की प्रभावी तिथि से हस्तांतरित किये गये है। तद्नुसार एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड धारक कंपनी हो गई है। एम.पी.पॉवर मेनेजमेंट कंपनी की संपूर्ण अंशपूंजी म.प्र. शाासन द्वारा धारित है।

इस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा प्रसारित लेखा मानक 18 की आवश्यकता अनुसार संबंधित पक्षकार के हेतु जानकारी नीचे दी गई है :–

ए) **धारक कंपनी**

म.प्र. पॉवर मेनेजेमेंट कंपनी लिमिटेड,जबलपुर

बी) **सह सहायक कंपनियां**

i) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,जबलपुर
ii) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,भोपाल

सी) **मुख्य प्रबंधन व्यक्ति**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

i) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ किए गये व्यवहारों का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने एम.पी.पी.एम.सी.एल (एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,जबलपुर) (दिनांक 01.04.2012 की प्रभावी तिथि से धारक कंपनी) से उर्जा का क्रय किया है जिसका विवरण अधोलिखित है:–

अनु. क्र.	विवरण	वित्त वर्ष2014-15 (राशि रू करोड़ो में)	वित्त वर्ष2013-14 (राशि रू करोड़ो में)
1	वर्ष के दौरान उर्जा क्रय राशि	7,285.35	6,697.80

ii) संबंधित पक्षकारो को अदत्त शेष का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान विखंडित ईकाईयों के बीच कार्यकारी आवश्यकताओं के कारण अन्तर कम्पनी व्यवहार हुऐ हैं। दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति में प्रत्येक कम्पनियों से प्राप्य/(को देय) का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं।

अनु. क्र.	कंपनी का नाम	राशि रू करोड़ो में (डी.आर/सी.आर)	
		31/मार्च/15 को	31/मार्च/14 को
1	म.प्र. पॉवर मेनेजमेन्ट कं. लिमिटेड, जबलपुर	322.69	निरंक
2	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लिमिटेड, जबलपुर	1.16	1.22
3	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लिमिटेड, भोपाल	5.58	5.57

(उपरोक्त राशि म.प्र.पा.मे.कं.लि. एवं इसकी अन्य सहायकी कंपनीयों के साथ पुष्टी/समाधान के अधीन हैं।)

iii) कम्पनी निदेशको को भुगतान :–

वर्ष के दौरान कम्पनी के प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशको को भुगतान एवं अन्य लाभ का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	प्रबंध निदेशक राशि (रू. करोड़ में)		अन्य निदेशक राशि (रू. करोड़ में)	
		वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष2014-15	वित्त वर्ष2013-14
1	वेतन /पारिश्रमिक	0.08	0.13	-	-
2	यात्रा व्यय,दूरभाष, यात्रा साधन एवं अन्य इसी प्रकार के अनुलाभ	0.02	0.33	-	-
	योग	**0.10**	**0.16**	**-**	**-**

3:30: अंशो पर अर्जन - (ले.मा.20):

लेखा मानक 20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्त में कम्पनी के अंशो पर अर्जन का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	विवरण	(ईकाई)	वि.व2014-15
1	समता अंशधारियों को लाभ/(हानि)	रू. करोड़ो में	(1,060.85)
2	भारित औसत समता अंशो की संख्या	समता अंश करोड़ो में	19.73
3	प्रति मूल अंश अर्जन मूल	रू. में	(55.60)
4	प्रति मूल अंश अर्जन तरलित	रू. में	(53.76)
5	प्रति समता अंश का मूल्य	रू. में	100

(डॉ. शैलेश कर्दम)
उप निदेशक (लेखा)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

3:31: आस्थगित कर :

आय कर अनुसार कंपनी की बड़ी मात्रा में संग्रहित हानि एवं असंविलित अवक्षयण है। तथापि ऐसी हानियों एवं अवक्षयण पर अस्थगित कर संपति को, कंपनी की लेखा पुस्तकों में, मान्य नही किया गया है, क्योकि प्रबंधन की राय में भविष्य की कर योग्य आय की प्रमाण द्वारा समर्थित विश्वास योग्य निश्चितता अथवा तर्क संगतता उपलब्धता नही है।

3:32: आस्तियों की क्षति -(ले.मा.28):

इस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा आस्तियों की क्षति पर जारी लेखा मानक 28 के अनुसार प्रबंधन द्वारा आस्तियों की आर्थिक निष्पादन के संबंध में समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का मत है कि स्थायी आस्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षानुसार अनुचित नही है। अतः तुलन पत्र की दिनांक को कोई क्षति नही है।

3:33: आकस्मिक दायित्व -(ले.मा.29):

प्रबंधन की नीति अनुसार आकस्मिक दायित्व केवलरू. 1.00 करोड़ से ऊपर राशि के चिन्हित कर कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किये है। तदनुसार, रू. 1.00 करोड़ से अधिक के आकस्मिक दायित्व यथातिथि को निम्नलिखित है :–

3:33:1: वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 अवधी हेतु पारेषण प्रभार (ब्याज सहित) पर आयकर उपायुक्त (टी.डी. एस) इन्दौर द्वारा की गई रू 217.02 करोड़ की मांग के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा सभी प्रकरणों में अपील प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 (प्रथम त्रैमासिक) अवधी हेतु उठाई गई रू 63.50 करोड़ की मांग का प्रकरण माननीय आय.टी. ए.टी., इन्दौर ने आदेश दिनांक 19–11–2014 द्वारा कम्पनी के पक्ष में निर्णित किया है एवं प्रकरण निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया है। अन्य अपीले आयुक्त आयकर समक्ष लंबित है।

3:33:2: एम.पी.एस.ई.बी. की सूचना अनुसार सभी समूह कंपनी के संयुक्त आकस्मिक दायित्व हेतु रू. 448 करोड है, यद्यपि एम.पी.एस.ई.बी द्वारा कंपनी वार विवरण उपलब्ध नही कराया गया है।

3:33:3: पी.पी. ऋण पत्रों के ब्याज के दायित्व के लंबित अंतिम परिनिर्धारण के दृष्टिगतपी.पी.ऋण पत्र पर रू. 5.49 करोड़ से अधिक का ब्याज दायित्व भविष्य में उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि आज दिनांक तकयह राशि सुनिश्चित करने योग्य नही है।

3:33:4: गत वर्ष के दौरान म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लि. (एम.पी.पी.टी.सी.एल) द्वारा रख रखाव लागत की राशि हेतु रू. 107.30 करोड़ का देयक जारी किया है, (म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा रू 70.58 करोड का दावा छोडने से राइटऑफ करने के पश्चात) यघपि यह एम.पी..ई.आर.सी द्वारा अनुमोदित नही किया है, अतः इन्हे एम.पी.ई.आर.सी के आगे के स्पष्टीकरण/दिशा निर्देश जारी होने तक कंपनी की लेखा पुस्तको में लेखांकित नही किया गया है।

हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार
खण्डेलवाल काकांनी एण्ड कंपनी के लिए
सनदि लेखाकार
एफआरएन:001311C

सीए. एन.सी. पुरंदरे
भागीदार
एमएन: 072684

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके वास्ते

(आकाश त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 19 नवम्बर 2015

(एम.के. झॅवर)
निदेशक (वाणिज्य)

(संजय वत्स)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एल.के. शर्मा)
कंपनी सचिव

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

खण्डेलवाल काकानी एंड कंपनी
————सनदी लेखापाल ————
8, जौहरी पेलैस, प्रथम तल, 51, एम.जी.रोड़, इन्दौर–452001
फोन : 0731–2518269, 2529539 फैक्सः 0731–4042019
email : kkc@cakhandelwalkakani.com
kkc_indore@rediffmail.com

अंकेक्षक प्रतिवेदन

प्रति,

सदस्यगण

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

इन्दौर (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र) के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2015 को तुलनपत्र तथा इस वर्ष के अंत में लाभ हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीति पर एक संक्षिप्त विवरण एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है का अंकेक्षण किया हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का संचालक मंडल कम्पनीज (अकाउन्ट्स) रूल्स, 2014 के नियम 7, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 मे निर्दिष्ट लेखा मानको सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखासिद्धान्तो के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में कथित मामलों हेतु कम्पनी के वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह, वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित दृश्य देने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लियें उत्तरदायी है।

इस दायित्व में, कंपनी की आस्तियों के सुरक्षण तथा छल तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण करना, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उनको लागू करना, ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाना जो युक्ति युक्त एवं प्राज्ञ हो, एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को आकार देना, लागू करना एवं बनाये रखना जो कि लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्य कर रहे है, संबंधित वित्तीय विवरणो को तैयार करने एवं प्रदर्शित करने जो सत्य एवं उचित परिदृश्य देते हो तथा ऐसे तात्विक असत्य कथन से मुक्त हो जो कपट अथवा अशुद्धता के कारण हो।

अंकक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये अंकेक्षण पर आधारित अभिमत अभिव्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानो लेखा एवं अंकेक्षण मानको तथा अधिनियम के प्रावधान अधिनियम अन्तर्गत बनाये गये प्रावधानो एवं नियमों के अन्तर्गत मामले जो कि अंकेक्षण प्रतिवेदन मे सम्मिलित करना आवश्यक है को ध्यान में लिया है।

हमने हमारा अंकेक्षण अधिनियम की धारा 143 (10) में उल्लेखित अंकेक्षण मानको के अनुरूप किया है। ये मानक अपेक्षा करते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करे एवं अंकेक्षण की योजना बनाकर अंकेक्षण कार्य निष्पादन द्वारा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरण सारभूत मिथ्या कथनो से युक्त नही है।

एक अंकेक्षण मे वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटीकरणों के साक्ष्य प्राप्त करने की विधि का कार्य निष्पादन सम्मिलित होता है। विधि का चयन अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर होता है, जिसमें कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथनों की जोखिम आंकलन सम्मिलित है। इन जोखिम, आंकलनों को करने में, अंकेक्षक, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं को आकार देने हेतु, कम्पनी के सत्य एवं उचित परिदृश्य देने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक समझता है।

एक अंकेक्षण में, उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की औचित्यता का आंकलन एवं कंपनी के संचालकों द्वारा लगाये गये लेखा अनुमानो की तर्कसंगतता के साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का आंकलन भी सम्मिलित होता है।

हम विश्वास करते है कि हमे प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त है, जो एकल वित्तीय विवरणो पर हमारे अंकेक्षण अभिमत हेतु एक आधार उपलब्ध करते है।

eXpert PDF Trial

अहर्ता अभिमत का आधाार

कर्मचारी लाभः

i. कंपनी द्वारा लिया गया एक्चूअरिअल आंकलन प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2009 जो कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान करने के लिए ध्यान में रखा गया है छः वर्ष पुराना है, जो लेखा मानक 15 (संशोधित) की आवश्यकता अनुसार नही है।

ii. एक्चूअरिअल प्रतिवेदन के अनुसार निधीयन आधार पर यद्यपि कर्मचारी लाभ हेतु ग्रेच्यूटी, पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण के लिए, 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रावधान किया है, एवं इसका निवेश नही किया गया है, इस प्रकार उस सीमा तक प्रावधान में न्यूनता है।

iii. कर्मचारी लाभ के संबंध में लेखों पर टिप्पणो के टिप्पण क्रं. 3.27, कंपनी द्वारा दिया गया प्रकटन लेखा मानक 15 (संशोधित) की आवश्यकता के अनुरूप नही है।

अहर्ता अभिमत

हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अुनसार एवं हमें प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, अहर्ता अभिमत का आधार पैरा में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, वित्तीय विवरण, अधिनियम की आवश्यकता अनुसार एवं आवश्यक रीति से जानकारी देते है तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुये सत्य एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाते हैः–

(ए) तुलन पत्र के बारे में 31 मार्च 2015 को कंपनी की प्रकार्यों की स्थिति।
(बी) लाभहानि विवरण के बारे में कंपनी के उस दिनांक को समाप्त वर्ष की हानि, एवं
(सी) रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में उस दिनांक को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह।

महत्वपूर्ण मामलें

आगे, महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ टिप्पण 1 एवं लेखो पर कंपनी की टिप्पणीयो के विवरण टिप्पण 2 एवं 3 के निम्नलिखित मदो पर ध्यानाकर्षण किया जाता है :–

निम्नांकित मामलों पर हमारा मत अहर्ता युक्त नही है :–

- वित्तीय विवरण का टिप्पण क्रं. 2:4 चूंकि ऋण शास्वत प्रकृति के है तथा कंपनी को पुनर्भुगतान की बाध्यता नही है अतः शास्वत ऋण को दीर्घकालिक उधारियों जैसा व्यवहारित नही किया है तथा तुलन पत्र में अलग से प्रकट किया है।

- पैरा क्रमांक 1:1 लेखानीतियां जो नकद आधार पर कुछ आय एवं व्ययों मदों के लेखांकन से संबंधित है। जो कि भारतीय सनिधि लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (ए.एस.) 9 (राजस्व मान्यता) के विपरीत है।

- लेखों पर टिप्पणं की पैरा क्रमांक 3:2 जो वित्तीय वर्ष 2008–09 से आगे लाये गये प्रारंभिक शेषों से संबंधित है, जो कि पुनः समायोजन (यदि कोई हो) अथवा म.प्र.रा.वि.मं. से स्पष्टीकरण के अधीन है इसलिये हम उन संपत्तियो के बारे में कि क्या वे वसूली योग्य/दायित्व भुगतान योग्य है अथवा नही व्यक्त करने मे असमर्थ है।

- उपभोक्ता लेखों के साथ देनदार नियंत्रण लेखों में अंतर सबंधी लेखों पर टिप्पणी के पैरा क्रमांक 3:3।

- 31.03.2015 को पहचान न किये गये/अप्रावधानित अचलायमान एवं अप्रचलित स्टॉक एवं पुर्जे से संबंधित लेखों पर टिप्पणं की पैरा क्रमांक 3:8 जो कि लेखामानक 2 इन्वेन्ट्री के मूल्यांकन से पुष्टिकारी नही है।

- लेखों पर टिप्पणं की पैरा क्रमांक 3:24 अन्तर इकाई लेखांकन होने संबंधी, जो कि समाधान के अधीन है।

- लेखों पर टिप्पणं की पैरा क्रमांक 3:26 तत्कालीन म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की विभिन्न उत्तरवर्ती कंपनियों के शेष समाधान/पुष्टि के अधीन होने के संबंध में।

eXPert PDF Trial

- अन्यान्य लेनदारों, देनदारों के शेष, कर्मचारी वृन्द एवं आपूर्ति दाताओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिम पुष्टिकरण के अधीन है।
- म.प्र शासन से ऋण पुष्टिकरण के अधीन है।
- लेखा मानक 28 की आवश्यकता अनुसार कंपनी संचारित राशि के साथ तुलना करने हेतु आस्तियों की वसूलनीय राशि की गणना नही करती अतः हम अभिमत व्यक्त करने में असमर्थ है कि कंपनी की आस्तियॉ क्षतिग्रस्त हुई है अथवा नही।

अन्य मामलें पैरा

हमारे मत को बिना अहर्ता के निम्नांकित मामलों पर हम ध्यान आकृष्ट करते है :–

- तत्कालीन म.प्र.रा.वि.मं द्वारा कंपनी को स्थानांतरित भूमि एवं भवन के स्वत्व विलेखों की अनुपलब्धता के संबंध में लेखों पर टप्पणं के पैरा क्रमांक 3:6
- लेखों पर टिप्पणं के पैरा क्रमांक 3:21 जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एन्टर प्राईजेस विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पूर्तिकर्ताओं की यथास्थिति चिन्हित न किये जाने संबंधित है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (11) के तारतम्य में भारत सरकार द्वारा जारी किये कंपनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन) आदेश 2015 (आदेश) के आवश्यकतानुसार आदेश की कंडिका क्रमांक 3 एवं 4 के अंतर्गत उल्लेखित विषय वस्तुओं पर हम संलग्नक . अ में एक वक्तव्य देते है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम प्रतिवेदित करते हे कि :

(ए) हमने वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण तलाशे एवं प्राप्त कर लिये है जो कि हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य के लिये आवश्यक थे।

(बी) हमारे अभिमत में, ऐसी लेखा पुस्तकों के परीक्षण से जहां तक यह परिलक्षित होता है, कंपनी के द्वारा विधि के अनुसार आवश्यक यथार्थ लेखा पुस्तके रखी गयी है।

(सी) इस प्रतिवेदन से व्यवहारित, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, का लेखा पुस्तकों के साथ सामंजस्य है।

(डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण अधिनियम की धारा 133 में उल्लेखित लेखा मानकों सहपठित कम्पनीज (अकाउन्ट्स) रूल्स, 2014 के नियम 7, का अनुपालन करते है सिवाय इसके कि उपरोक्तानुसार अर्हता मत के उल्लेखित मामलों के आधार के प्रभाव के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण मामलें के अनुच्छेद एवं अन्य मामलों के अनुच्छेद जहां तक, जैसा कि उनका निम्नांकित से संबंध हों :–

  - लेखामानक 2: उपकरणो के मुल्याकंन के संबंध में
  - लेखामानक 9: राजस्व मान्यता के संबंध में
  - लेखामानक 10: स्थिर आस्तियो के लेखांकन के संबंध में
  - लेखामानक 15: कर्मचारी लाभ (संशोधित) के संबंध में
  - लेखामानक 28: आस्तियों की क्षति के संबंध में
  - लेखामानक 29: प्रावधानों, आकस्मिक सम्पतियों एवं आकस्मिक दायित्वों के संबंध में

(ई) चूंकि यह एक शासकीय कंपनी है अतः अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नही होते।

(एफ) कम्पनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है एवं ऐसे नियंत्रण की प्रभाविता प्रवर्तनशील है।

eXPert PDF Trial

(जी) हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अुनसार एवं हमें प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनीज (अंकेक्षण एवं अंकेक्षको) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों के सम्बन्ध में जो कि अंकेक्षको के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाना है :–

i) कम्पनी में ऐसे कोई लंबित अभियोग नही है जो वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो।

ii) कम्पनी में तात्विक प्रत्याशित हानि वाले गौण (डेरिवेटिव) अनुबंध सहित दीर्धावधि के अनुबंध नही है।

iii) ऐसी कोई राशियॉ नही थी जिन्हे कम्पनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने की आवश्यकता हो।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 19/11/2015

खण्डेलवाल काकांनी एण्ड कंपनी के लिए
सनदि लेखाकार
एफआरएन:001311C

सीए. एन.सी. पुरंदरे
भागीदार
एम एन: 072684

eXPert PDF Trial

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

अंकेक्षक प्रतिवेदन का परिशिष्ट– अ

(हमारे सम दिनांक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में संदर्भित)

(i) (अ) हमारे मत में कंपनी द्वारा स्थिर आस्तियों की मात्रांत्मक विवरण एवं स्थिति दर्शाते हुए अभिलेखों का अनुरक्षण संभाग स्तर तक किया जा रहा है।

(ब) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, यद्यपि मदवार एवं स्थितिवार, भौतिक प्रतिवेदन हमे उपलब्ध नही कराया । अतएव हम भौतिक शेष एवं पुस्तकीय अभिलेख के मध्य त्रुटि यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ii) (अ) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सामयिक अंतराल में उपकरणों (इन्वेन्ट्री) का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। हमारे मत में सत्यापन की आवृति (फ्रीक्वेंसी) उचित है।

(ब) हमारे मत में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा उपकरणों (इन्वेन्ट्री) के भौतिक सत्यापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर्याप्त एवं यथोचित है एवं इसे और आगे सुदृढ़ीकरण करने का सुझाव है।

(स) हमारे मत मे, कंपनी द्वारा इन्वेन्ट्री के उचित अभिलेख रखे गये हैं। भौतिक सत्यापन में भौतिक उपकरणों (इन्वेन्ट्री) एवं पुस्तकों के मध्य जानकारी में आयी विसंगती जो महत्वपूर्ण नही है तथा उसे उचित रूप से लेखा पुस्तको में व्यवहारित किया गया है, सिवाय उपकरण जो कि अंतिम प्रारंभिक शेषों से हस्तांतरित हुआ है (लेखों पर टिप्पणं की टीप क्र. 3:2 को संदर्भ करें) जैसा कि इस संबंध में हमे सूचित किया है कि उनकी ओर से निर्देशों/परामर्श के अभाव में समायोजन अभी तक लंबित है।

(iii) कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में आने वाले कोई भी संरक्षित अथवा असंरक्षित ऋण, कंपनीयों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को न तो दिये गये/अथवा लिये गये हैं। अतएव यह वाक्यांश लागू नहीं होता ।

(iv) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप, उपकरण, (इन्वेन्ट्री) स्थायी आस्तियों के क्रय हेतु एवं ऊर्जा विक्रय हेतु प्रक्रिया का पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण हैं। अंकेक्षण के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमजोरियां नही देखी है। किन्तु प्रभावी निगरानी के उद्धेश्य से आगे इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

(v) हमारे मत में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कोई भी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किये गये हैं।

(vi) हमें यह सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा की जा रही गतिविधियों हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेख रखना निर्धारित किया गया है। तथा हमे सूचित किया है कि कम्पनी द्वारा उपयुक्त लागत अभिलेख रखे गये हैं।

(vii)

ए. हमारे द्वारा अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार कंपनी वैधानिक देयों, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, धन कर, कस्टम डयूटी, उत्पादन शुल्क वेल्यु एडेड टेक्स, सेस एवं अन्य वैधानिक देयों (यथा लागू) को उपयुक्त प्राधिकारी के यहॉ जमा करने में सामान्यतः नियमित है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 को उपरोक्त कथित देय संबंधि भुगतान योग्य अविवादित राशि अदत्त नही थी जो उनके भुगतान योग्य होने की तिथि से छः माह की अवधि से अधिक हो।

eXPert PDF Trial

बी. हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, निम्नांकित के अलावा ऐसा कोई वैधानिक विवादित देयक नहीं है, जो किसी भी प्राधिकारी के यहॉ लंबित हो।

अनु. क्रं.	विषय	के समक्ष लंबित	वर्तमान स्थिति
1	पारेषण प्रभार पर टी.डी.एस. की मांग	सी.आई.टी. (अपील) इन्दौर	वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 अवधी हेतु पारेषण प्रभार (ब्याज सहित) पर आयकर उपायुक्त (टी. डी.एस) इन्दौर द्वारा की गई रू 217.02 करोड़ की मांग के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा सभी प्रकरणों में अपील प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 (प्रथम त्रैमासिक) अवधी हेतु उठाई गई रू 63.50 करोड़ की मांग का प्रकरण माननीय आय.टी. ए.टी., इन्दौर ने आदेश दिनांक 19–11–2014 द्वारा कम्पनी के पक्ष में निर्णित किया है एवं प्रकरण निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया है। अन्य अपीले आयुक्त आयकर समक्ष लंबित है।

सी. आदेश की कंडिका (vii) (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते है।

(viii) हमारे अंकेक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में तथा आसन्न पूर्ववर्ती वर्ष में कंपनी में संग्रहित हानियॉ है तथा कम्पनी में रोकड़ हानियॉ उदित हुई हैं ।

(ix) हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया पर आधारित एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार हमारे मत में कंपनी ने बैकों एवं वित्तीय संस्थानो के पुनर्भुगतान में देय एवं ब्याज रू 34.52 करोड़ की चूक की हे।

(x) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानो से लिये गये ऋणों हेतु कोई गारंटी नहीं दी हैं।

(xi) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्राप्त सावधि ऋण, प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया हैं। हमें दी गई जानकारी के अनुसार (म.प्र.शासन से प्राप्त ऋण जो अब अविरत ऋण में परिवर्तीत किये गये है, सहित) अंतिम प्रारंभिक शेषों के माध्यम से प्राप्त सावधि ऋण, के संबंध में निधि के उपयोग के यथार्थ विवरण सुनिश्चित करने योग्य नही है अतएव हम इस संबंध में टिप्पण करने में असमर्थ है।

(xii) प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि विचाराधीन वर्ष में न तो कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा कोई कपट नही हुआ है।

eXPert PDF Trial

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 19/11/2015

खण्डेलवाल काकांनी एण्ड कंपनी के लिए
सनदि लेखाकार
एफआरएन:001311C

सीए. एन.सी. पुरंदरे
भागीदार
एम एन: 072684